मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2015-2016

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2015–2016

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

समग्र पोर्टल को ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष 2015–16 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेन्द्र फडनवीस

माननीय मंत्री जी श्री गोपाल भार्गव को राष्ट्रीय पुरस्कार का अवलोकन कराते हुये संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2015–2016

माननीय मंत्री जी	श्री गोपाल भार्गव

मंत्रालय

सचिव	डॉ. मनोहर अगनानी
उपसचिव	श्री पी.के. ठाकुर

विभागाध्यक्ष

संचालक	श्री अजीत कुमार
संचालक, म.प्र.समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन	श्री अजीत कुमार

मुख्य सचिव, म.प्र. शासन श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा को राष्ट्रीय पुरस्कार का अवलोकन कराते अधिकारीगण

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा समग्र पुस्तिका का विमोचन

अनुक्रमणिका

भाग – एक

1. सामान्य जानकारी 1
2. विभाग की पृष्ठभूमि.....3
3. विभाग की प्रशासकीय संरचना 4
4. विभाग के दायित्व.....7
5. विभागीय कार्यक्रम.....8

भाग – दो

6. बजट प्रावधान, व्यय एवं जेण्डर बजट.....12

भाग – तीन

7. सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां 18
8. विभागीय कार्यक्रमों का विवरण
    - निःशक्त कल्याण 21
    - सुधारात्मक सेवाएं 33
    - सामाजिक सहायता 40
    - नशामुक्ति 50
    - कलापथक 52
9. मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम–2010 53
10. आयुक्त निःशक्तजन 55
11. मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग 57
12. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग 59
13. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 61

भाग – चार

14. सामान्य प्रशासनिक विषय 66
    - संसदीय कार्य 66
    - विधि विषयक कार्य 66
    - पदोन्नति,नियुक्ति,विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण, सूचना का अधिकार 68
    - घोषणा 69
15. आयोजित विभिन्न कार्यक्रम.....70
16. सारांश 77
17. विभागीय साहित्य मुद्रित.....77
18. परिशिष्ट 78

CAT-1-11-MP

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2015 - 2016

सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश

को

समग्र पोर्टल - एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की पहल

के लिए

सरकारी प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता

श्रेणी का

रजत

पुरस्कार प्रदान किया जाता है

Government of India

National Award for e-Governance, 2015 - 2016

Silver Award

presented to

SAMAGRA Portal - An initiative to implement Integrated Social Security Program

Social Justice Department, Bhopal, Madhya Pradesh

for

Excellence in Government Process Re-engineering

देवेंद्र चौधरी / Devendra Chaudhry

सचिव / Secretary

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

Department of Administrative Reforms and Public Grievances

भाग - 1

अशासकीय संस्था मूकबधिर संगठन इंदौर में श्रवण बधित बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्रीजी

मध्यप्रदेश एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल (हजार वर्ग कि.मी.) **308**

प्रशासन

राज्य स्तरीय	
संचालनालय	1
संभागीय कार्यालय	7
जिला स्तरीय उप संचालक कार्यालय	44
निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाऐं	20
भिक्षुक गृह	1
वृद्धाश्रम	67
नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र	17
निःशक्त कल्याण की विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाऐं	320

प्रशासकीय इकाई

संभाग	10
जिले	51
कुल तहसील	364
राजस्व अनुभाग	218
विकास खण्ड/जनपद	313
आदिवासी विकास खण्ड/जनपद	89
नगर/शहर	476
कुल ग्राम	54,903
कुल ग्राम पंचायतें	22,824
कुल नगर निगम	16
कुल नगर पालिका	98
कुल नगर परिषद	264

जनसंख्या (जनगणना 2011) (हजार में)

कुल जनसंख्या	72,627
पुरुष	37,614
महिला	35,015
ग्रामीण	52,557
शहरी	20,070
अनुसूचित जाति	11,342
अनुसूचित जनजाति	15,136

कार्यशील जनसंख्या (जनगणना 2011) (हजार में)

कुल कर्मी	31574
दीर्घकालिक कर्मी	22702
निःशक्तजन	1560

दीर्घकालिक कर्मी जनसंख्या	22702
अ. काश्तकार	8215
ब. खेतिहर मजदूर	6631
स.पारिवारिक उघोग में लगे कार्यशील	647
द. अन्य कार्यशील	7209
अल्पकालिक कर्मी जनसंख्या	8872
गैर कार्यशील जनसंख्या	41,053

(सौजन्य से– मध्यप्रदेश शासन की डायरी वर्ष 2015)

निःशक्तजनों संबंधी आंकडे **स्पर्श अभियान–2011**

निःशक्तजनों की जनसंख्या		810 (हजार में)
निःशक्तों का लिंग अनुपात	पुरुष	544
	महिला	265
ग्राम/शहर	ग्रामीण	654
	शहरी	155
निःशक्त श्रेणी	1. अस्थिबाधित	417
	2. दृष्टिबाधित	134
	3. श्रवणबाधित	85
	4. मंदबुद्धि बहु विकलांग	174
प्रदेश में कुल 40 % से अधिक निःशक्तजन		600

विभागीय निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्था		20
जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र	केन्द्र शासन	23
	राज्य शासन	26

विभाग के अन्तर्गत महत्वपूर्ण दिवस

दिवस	दिनांक
मद्य निषेध संकल्प दिवस	30 जनवरी
अर्न्तराष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस	31 मई
अर्न्तराष्ट्रीय नशा निवारण दिवस	26 जून
अर्न्तराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
मद्य निषेध सप्ताह	2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर
विश्व विकलांग दिवस	3 दिसम्बर

विभाग की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक 1–11–1956 से पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल का गठन हुआ।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का 7 बार पुर्नगठन हुआ है जिसके तहत एक–एक दायित्व अन्य विभागों को सौपा गया है या नया विभाग गठित किया गया है, जो निम्न तालिका में वर्णित है।

क्रमांक	वर्ष	पुर्नगठन का स्वरूप
1	1961	विभाग से सहकारिता विभाग की योजनाओं को हटाया जाकर पृथक से सहकारिता संचालनालय का गठन हुआ ।
2	1977	विभाग से खेलकूद एवं युवक कल्याण को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय खेलकूद एवं युवक कल्याण गठित हुआ ।
3	1986	विभाग से महिला एवं बाल विकास को हटाया जाकर पृथक रूप से संचालनालय महिला एवं बाल विकास गठित हुआ ।
4	1994	संचालनालय से प्रौढ शिक्षा योजना, स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई।
	2005	पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल का नाम परिवर्तित कर पंचायत एवं सामाजिक न्याय संचालनालय रखा गया।
5	2007	नवीन पंचायतराज संचालनालय का गठन होने से सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग से पंचायतराज पृथक हो गया।
6	2008	सामाजिक न्याय संचालनालय से स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग को हस्तांतरित। जिला अंकेक्षक एवं उप अंकेक्षकों की सेवाएं एवं अंकेक्षण कार्य वित्त विभाग को सौंपा गया ।
7	2010	किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन का दायित्य सामाजिक न्याय संचालनालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा जाकर सुधारात्मक सेवा की 26 संस्थाओं को मय अमले के महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित किया गया ।
8	2014	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभाग की प्रशासकीय संरचना

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में प्रशासकीय नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में सचिवालय स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य लिपिकीय अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है ।

विभाग में संचालनालय स्तर पर आयुक्त, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक प्रथम श्रेणी ,सहायक संचालक (द्वितीय श्रेणी) एवं परीवीक्षा अधिकारी के साथ अन्य लिपिकीय वर्ग के पद स्वीकृत है :– संचालनालय का अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ मैदानी अमले पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

वर्तमान में संभागीय मुख्यालय के सात संभागो में क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर एवं रीवा में संयुक्त संचालक एवं जिलो में उप संचालक सामाजिक न्याय अपने उपलब्ध अमले के साथ विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहे हैं।

विभाग के अंतर्गत आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के प्रशासनिक नियंत्रण/क्षेत्राधिकार में निम्न संस्थाएं/आयोग संचालित हैं –

- मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग
- मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग
- आयुक्त निःशक्तजन कल्याण
- मध्यप्रदेश विकलांग कल्याण तथा विकास समिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग का संगठनात्मक ढॉचा

शासन स्तर

प्रमुख सचिव/सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी

विभागाध्यक्ष स्तर

आयुक्त/संचालक

- **अपर संचालक** 1
- **संयुक्त संचालक** 2
- **मिशन संचालक** मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन
  - उप मिशन संचालक, 3
- **उप संचालक** 4
- **सहायक संचालक संवर्ग** 19
  - **सहायक सांख्यिकी अधिकारी** 2
  - **परिवीक्षा अधिकारी** 2
  - **प्रोग्रामर** 1
  - **सहायक प्रोग्रामर** 2

संभाग स्तर

संभागीय संयुक्त संचालक

जिला स्तर

उप संचालक
शासकीय संस्थाएं

नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत

समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आयोग/अन्य कार्यालयों का ढांचा

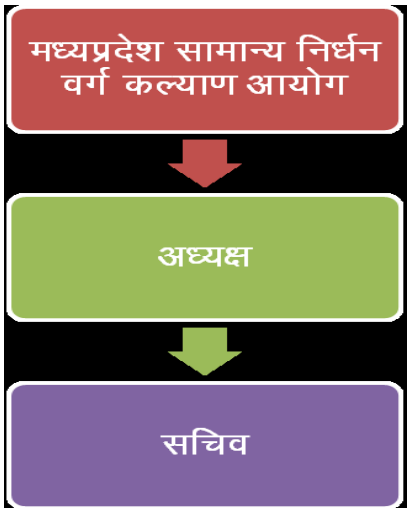

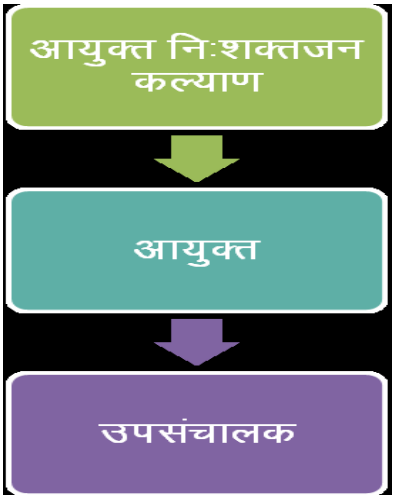

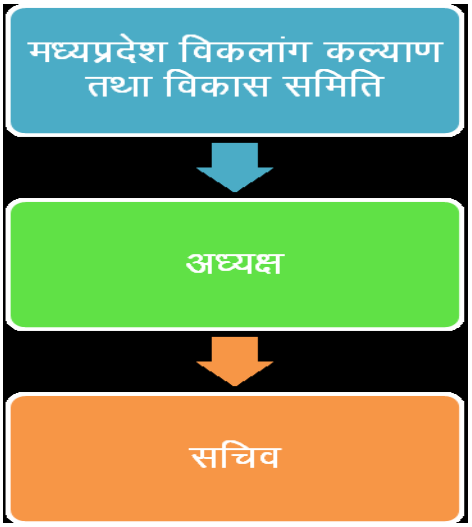

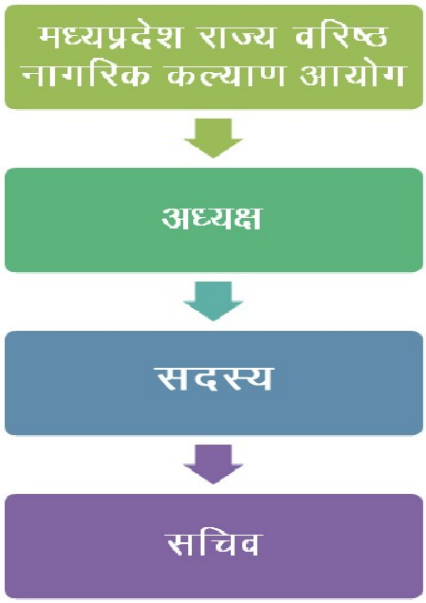

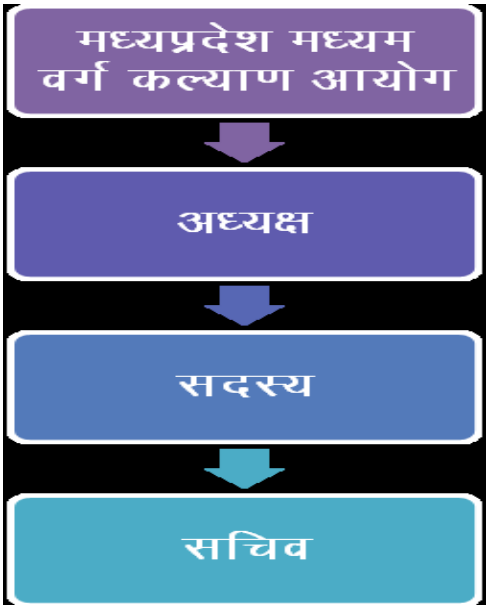

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के दायित्व

सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की जाती हैं :–

- **निःशक्त कल्याण**
- **सुधारात्मक सेवाएं**
- **सामाजिक सहायता**
- **अन्य कार्यक्रम**

निःशक्त कल्याण

निःशक्त कल्याण योजनान्तर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं ।

सुधारात्मक सेवाएं

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है ।

मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है । वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन।

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के नियम 2013 का क्रियान्वयन ।

———————

विभागीय कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम

1. सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना
2. बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता
3. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
4. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
5. अंत्येष्टि सहायता
6. आम आदमी बीमा/जनश्री बीमा योजना
7. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
8. मुख्यमंत्री निकाह योजना
9. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
10. निः:शक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना
11. निःशक्तजनों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं
12. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
13. निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा मे दी जाने वाली फीस,निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
14. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति
15. निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
16. मुख्यमंत्री बालश्रवण योजना (सितम्बर 2014 से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित)
17. निःशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
18. कलापथक
19. वृद्धाश्रमों का संचालन/डे–केयर सेंटर/शतायु सम्मान

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- सामाजिक सुरक्षा
  - पेंशन
  - विवाह
  - अन्त्येष्टि सहायता
  - अनुग्रह सहायता
  - बीमा
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- खाद्य सुरक्षा

अन्य कार्यक्रम

- अंत्योदय मेलों का आयोजन
- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना
- मद्यपान तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण केन्द्रीय अनुदान योजना तथा जन–जागरुकता कार्यक्रम
- भिक्षुक केन्द्र का संचालन
- जिला विकलांग तथा पुर्नवास केन्द्रों का संचालन
- निःशक्त व्यक्तियों के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय वित्त विकास निगम द्वारा संचालित ऋण योजनाएं
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं
- डी.डी.आर.एस. योजना का संचालन
- एडिप योजना का संचालन
- सिपडा योजना का संचालन

विभागीय पुरस्कार

- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार
- महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना
- विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार
- सुशीलचन्द्र वर्मा उत्कृष्ठ पुरस्कार योजना

———————

संयुक्त परामर्शदत्री समीति की बैठक दिनांक 14 दिसम्बर 2015

भाग - 2

बजट प्रावधान एवं व्यय वर्ष 2015–16

(राशि लाख रू. में)

शीर्ष / योजना	कुल प्रावधान (अनुपूरक अनुमान सहित) 2015–16	व्यय दि. 31.01.2016
आयोजनेत्तर		
मांग संख्या 34–2235	6259.41	3899.25
मांग संख्या 74–2235	560.00	293.88
मांग संख्या 34 / 74 (सामान्य)	**6819.41**	**4193.13**
आयोजना		
मांग संख्या 34–2235	16397.46	7482.07
मांग संख्या 74–2235	41435.27	34710.28
मांग संख्या 75–2235	20114.17	14679.03
मांग संख्या 34 / 74 / 75 (सामान्य)	**77946.90**	**56871.38**
आयोजना		
अनुसूचित जनजाति उपयोजना		
मांग संख्या 41–2235	19677.24	10060.09
मांग संख्या 52–2235	20405.95	16290.33
योग 41 / 52 अनु.जनजाति उपयोजना	**40083.19**	**26350.42**
आयोजना		
अनुसूचित जाति उपयोजना		
मांग संख्या 15–2235	19340.82	13160.37
मांग संख्या 64–2235	16553.17	9164.14
योग 15 / 64 अनु.जाति उपयोजना	**35893.99**	**22324.51**
योग आयोजना	**153924.08**	**105546.31**
योग आयोजनेत्तर / आयोजना	**160743.49**	**109739.44**

जेण्डर बजट

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रतानुसार महिलाओं को लाभांवित किया जाता है, तथापि विभाग द्वारा निम्न योजनाएं मुख्यतः महिलाओं के लिए संचालित हैं :–

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन

उक्त योजनाओं में शत–प्रतिशत राशि बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग संबंधित जेंडर मुद्दे, जेंडर गेप, जेंडर विषयक प्रमुख मानकों (Index) की स्थिति

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 से जेंडर मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इन कार्यो मे कोई गेप नहीं है।

जेंडर मुद्दो पर विभागों द्वारा पहल (initiative)

विभाग द्वारा जेंडर मुद्दों संबंधी संचालित योजनाओं में शत–प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं हेतु किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विभाग द्वारा मुख्यतः विवाह, छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं का क्रियांवयन किया जा रहा है।

केस स्टडी एवं गुड प्रेक्टिस

विभाग की योजनाओं हेतु पृथक से कोई केस स्टडी नहीं की गई है।

आगामी रणनीति

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में जेण्डर मुद्दों पर द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी अंतर्गत वर्गीकृत योजनाओं में महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।

प्रमुख उपलब्धियॉ और चुनौतियॉ

वित्त विभाग द्वारा विभागीय योजनायों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी शत–प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 40 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी में 30 प्रतिशत प्रावधान वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। विभाग द्वारा श्रेणीवार योजनायें निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख में)

क्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान वर्ष 2015–16	जेंडर बजट का प्रतिशत	संभावित हितग्राही
	प्रथम श्रेणी (100 प्रतिशत)			
	6692–मुख्यमंत्री निकाह योजना	500.00	100	2000
	6710–मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	20789.20	100	83200
	5863–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	35271.45	100	890525
	द्वितीय श्रेणी (40 प्रतिशत)			
	5863–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	6108.00	40	41359
	6690–माता पिता भरण पोषण योजना	10.00	40	60
	7084–राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	7450.00	40	14900
	8786–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	42903.00	40	550441
	9142–सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	27611.23	40	334563
	0073–अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	4750.77	40	21462
	0075–अंध मूक बधिरों को वृत्तियॉ	1425.00	40	3600
	5247–आम आदमी बीमा योजना	500.00	40	3200
	5614–जनश्री आदमी बीमा योजना	2400.00	40	20000
	6693–कन्या अभिभावक पेंशन योजना	2311.20	40	11652
	तृतीय श्रेणी (30 प्रतिशत)			
	4564–सुधारात्मक सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.00	30	3
	6694–कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	162.00	30	600
	7083–अंत्येष्टि योजना	50.00	30	600

————

विभागीय संचालित योजनाओं के बटन एवं व्यय की जानकारी वर्ष 2015–16

दिनांक 31.01.16 तक (आयोजना) (राशि लाख रू.में)

क्र.	योजना कमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2015–16	स्कूल शिक्षा विभाग / स्वाथ्य विभाग को दिया गया बंटन	पुनर्वियोजन	पुनर्वियोजन सहित कुल प्रावधान	जारी आवंटन	व्यय दिनांक 31.01.15	प्रतिशत
1	{0075}	अंध मूक बधिरो को वृत्तिया	1240.00	550.00	0.00	1240.00	89.78	89.78	7.24
2	{0073}	अंध मूक बधिर शालाओ को अनु.002	1182.00	0.00	0.00	1182.00	783.84	589.62	49.88
		बहु विकलांग को सहायता–007	2477.77	0.00	0.00	2477.77	3052.94	3052.94	88.52
3	{4114}	विश्व विकलांग वर्ष	53.00	0.00	0.00	53.00	43.09	43.09	81.30
4	{8786}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन	45903.00	0.00	-3000.00	42903.00	39361.42	39361.42	91.75
5	{7084}	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	7450.00	0.00	0.00	7450.00	6191.74	6191.74	83.11
6	{5863}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	13144.68	0.00	6945.00	20089.68	22848.65	22848.65	64.78
7	{5859}	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन	6108.00	0.00	0.00	6108.00	4515.04	4515.04	73.92
8	{6710}	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	12902.20	0.00	0.00	12902.20	15398.52	9490.67	45.65
9	{5442}	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	1226.52	0.00	-300.00	926.52	50.50	50.50	5.45
10	{9142}	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	31556.23	0.00	-3945.00	27611.23	16905.95	16905.95	61.23
11	{6306}	आयुक्त निशक्तजन कार्या.के वेतन भत्ते	14.25	0.00	0.00	14.25	3.04	1.18	8.28
12	{4564}	सुधारात्मक सेवाओ के अंतर्गत प्रशिक्षण	5.00	0.00	0.00	5.00	3.25	3.25	65.00
13	{5259}	इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
14	{5758}	कुशाभाउ ठाकरे अंशदायी पेंशन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	{6554}	समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यकम	250.00	0.00	0.00	250.00	231.83	231.83	92.73
16	{5247}	आम आदमी बीमा योजना	650.00	0.00	-150.00	500.00	0.00	0.00	0.00
17	{5614}	जनश्री बीमा योजना	2400.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
18	{0079}	दृष्टि एवं श्रवण बाधित शालायें संस्थायें (वेतन भत्ते)	376.08	0.00	0.00	376.08	266.91	247.51	65.81
19	{0831}	कर्मचारी मुख्यालय वृन्द वेतन भत्ते	19.86	0.00	0.00	19.86	7.78	7.28	36.66
20	{6677}	भिक्षुक गृह की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21	{6686}	वृद्वजन हेतु एकीकृत कार्यकम	15.00	0.00	0.00	15.00	2.25	2.25	15.00
22	{6687}	सामाजिक न्याय भवन एवं न्याया.भवन का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	{6688}	नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
24	{6689}	विकास खण्ड हेतु नवीन पदों का सृजन	200.01	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00
25	{6690}	माता पिता भरण पोषण योजना	10.00	0.00	0.00	10.00	1.93	1.93	19.30
26	{6691}	दधीचि पुरस्कार योजना	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
27	{6692}	मुख्यमंत्री निकाह योजना	500.00	0.00	0.00	500.00	243.29	243.29	48.66
28	{6693}	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	1000.00	0.00	542.50	1542.50	1479.57	1479.57	64.02
29	{6694}	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण योजना	162.00	0.00	0.00	162.00	94.01	91.99	56.78
30	{8808}	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	55.00	0.00	-27.50	27.50	0.00	0.00	0.00
31	{7083}	अन्त्येष्टि सहायता योजना	50.00	0.00	0.00	50.00	44.33	44.33	88.66
32	{7360}	राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग	70.00	0.00	0.00	70.00	52.50	52.50	75.00
33	{7435}	मध्यप्रदेश मध्यम वर्ग आयोग	75.00	0.00	-65.00	10.00	0.00	0.00	0.00
34	{1280}	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	**129115.61**	**550.00**	**0.00**	**129115.61**	**111672.16**	**105546.31**	**68.57**

विभागीय संचालित योजनाओं में आबंटन एवं व्यय वर्ष 2015–2016 (आयोजनेत्तर)

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना का क्रमांक एवं नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2015–16	जारी आवंटन	व्यय दिनांक 31.01.15	प्रतिशत
	मांग संख्या–34				
1	2304–निर्देशन और प्रशासन	2817.39	2133.63	2096.83	74.42
2	4518–साहित्य का उत्पादन	5.25	3.56	3.55	67.62
3	5663–निर्धन वर्ग कल्याण आयोग	57.72	47.77	25.01	43.33
4	6584–अंत्योदय मेलो का आयोजन	1000.00	970.77	211.63	21.16
5	0073–अंध मूक बधिर शालाओं को अनुदान	120.00	66.00	61.16	50.97
6	0079–दृष्टि श्रवण बाधित संस्थायें	1000.87	753.60	710.51	70.99
7	3098–भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर	33.57	22.83	18.55	55.26
8	0795–कलापथक	899.85	546.45	544.70	60.53
9	1985–दूशदर्शन कार्यक्रम	298.76	217.39	215.36	72.08
10	5258–भारतीय कुष्ठ निवारण संघ	15.00	13.50	11.95	79.67
11	5845–राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था के सहयोग से प्रशिक्षण	11.00	0.00	0.00	0.00
	योग मांग संख्या–34	**6259.41**	**4775.50**	**3899.25**	**62.29**
	मांग संख्या–74				
12	2245–नशाबंदी कार्यक्रम	375.00	279.87	266.25	71.00
13	0075–अंध मूक बधिरो को वृत्तियॉ	185.00	27.63	27.63	14.94
	योग मांग संख्या–74	**560.00**	**307.50**	**293.88**	**52.48**
	कुल योग मांग संख्या–34+74 (आयोजनेत्तर)	**6819.41**	**5083.00**	**4193.13**	**61.49**

भाग - 3

सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां वर्ष 2015–16

नेशनल ई–गवर्नेंस पुरस्कार वर्ष 2015–16

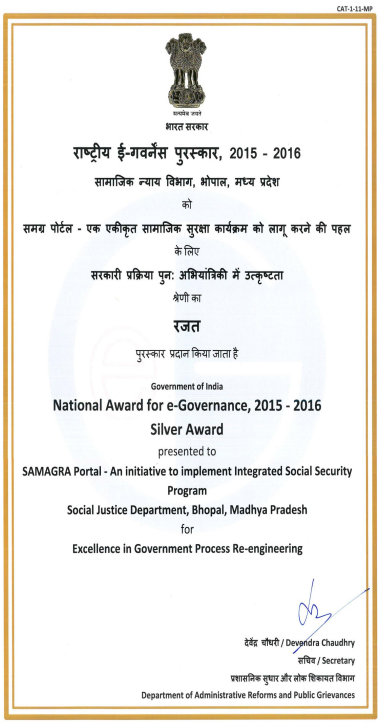

भारत सरकार

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार, 2015 - 2016

सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश

को

समग्र पोर्टल - एक एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने की पहल

के लिए

सरकारी प्रक्रिया पुन: अभियांत्रिकी में उत्कृष्टता

श्रेणी का

रजत

पुरस्कार प्रदान किया जाता है

Government of India

National Award for e-Governance, 2015 - 2016

Silver Award

presented to

SAMAGRA Portal - An initiative to implement Integrated Social Security Program

Social Justice Department, Bhopal, Madhya Pradesh

for

Excellence in Government Process Re-engineering

देवेंद्र चौधरी / Devendra Chaudhry

सचिव / Secretary

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

Department of Administrative Reforms and Public Grievances

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत तैयार किये गये **"समग्र पोर्टल"** को ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने लिये वर्ष 2015–16 का **नेशनल ई–गवर्नेंस का उत्कृष्टता राष्ट्रीय पुरस्कार (रजत)** प्राप्त हुआ। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के तत्वावधान में नागपुर में 19वीं ई–गवर्नेंस कॉफ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस द्वारा पुरस्कार दिनांक 22 जनवरी 2016 को नागपुर में प्रदत्त किया गया।

सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां वर्ष 2015–16

'वयोश्रेष्ठ सम्मान वर्ष 2015 राष्ट्रीय पुरस्कार'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर **डॉ. मनोहर विश्वनाथ भाले**, देवास को वयोश्रेष्ठ सम्मान के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2015 को प्रदत्त किया गया।

'वृद्धजनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु वर्ष 2015 राष्ट्रीय पुरस्कार'

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वृद्धजनों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु **श्री कर्मवीर शर्मा , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डोरी** को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2015 को प्रदत्त किया गया।

सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां वर्ष 2015–16

' सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2015–16 '

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निःशक्तता के क्षेत्र में किये गये कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2015–16 जिला होशंगाबाद को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार **श्री संकेत भोंडवे, कलेक्टर जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश** द्वारा 3 दिसम्बर 2015 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राप्त किया गया।

उत्कृष्ट कर्मचारी/स्व नियोजित विकलांगता श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार

श्री गौरव गेरा, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को उत्कृष्ट कर्मचारी/स्व नियोजित विकलांगता (प्रमस्तिष्क घात) श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विक्रम पुरस्कार–2015

श्री सत्येन्द्र सिंह (अस्थिबाधित), जिला ग्वालियर को तैराकी में वर्ष 2015 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विभागीय कार्यक्रम

निःशक्त कल्याण

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम–1995 प्रदेश में प्रभावशील है।

अधिनियम के प्रावधान अनुसार निःशक्त व्यक्तियों को उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुर्नवास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

शासकीय संस्थाओं का संचालन

निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाओं का संचालन प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु 20 शासकीय संस्थाएं संचालित हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :–

- दृष्टिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर 1
- श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर 1
- दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, सागर, खरगोन,ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, इन्दौर 7
- अस्थिबाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन्दौर और बैतूल 2
- मानसिक रुप से अविकसित बच्चों का गृह इन्दौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, भोपाल 7
- राज्य निःशक्तजन कल्याण संस्थान जबलपुर 1
- राजकीय वयस्क श्रवण बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान इन्दौर 1

(संस्थाओं की सूची परिशिष्ट एक पर उपलब्ध है।)

कुल 20

वर्ष 2015–16 में इन संस्थाओं के संचालन हेतु 1376.35 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा इनके माध्यम से जनवरी 2016 तक 1980 निःशक्तजन लाभान्वित हुए एवं 958.02 लाख व्यय हुआ।

जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र का संचालन

शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को समग्र पुनर्वास की कार्ययोजना के तहत जिला स्तर पर जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास हेतु कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा म0प्र0 में 23 जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र यथा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, सीहोर, राजगढ, विदिशा, छिंदवाडा, बालाघाट, सागर, दमोह, इंदौर, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रीवा, सतना एवं जबलपुर में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जो सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इन केन्द्रों से प्रदेश के निःशक्तजन लाभान्वित हो रहे हैं ।

उपरोक्त केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 26 जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र यथा जिला बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, धार, बडवानी, टीकमगढ़, सीधी, अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, भोपाल एवं अलीराजपुर में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये हैं । इन केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश के निःशक्तजन लाभान्वित हो रहे हैं ।

जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र, दमोह मध्यप्रदेश

स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान

मध्यप्रदेश में निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में 325 विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें से सहायक अनुदान योजनांतर्गत 41 स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

उक्त संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त व्यक्तियों की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों का वितरण, शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

वर्ष 2015–16 में रूपये 1290.00 लाख के बजट प्रावधान के विरुद्ध 647.72 लाख व्यय किया गया। जनवरी 2016 तक 3625 निःशक्त बच्चों को लाभान्वित किया गया है। (संस्थाओं की सूची परिशिष्ट दो पर उपलब्ध है।)

केन्द्रीय अनुदान

दीनदयाल निःशक्त पुनर्वास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में निःशक्त व्यक्तियों के उपचार, शिक्षण–प्रशिक्षण, पुनर्वास से संबंधित सहायक अनुदान के 28 प्रस्ताव रू. 310.19 लाख स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

कुष्ठ कल्याण योजना

कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रदेश में 3 विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 में रूपये 13.50 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से जनवरी 2016 तक 201 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

निःशक्तजनों के कल्याण की विभागीय योजनाएं

निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

प्रदेश में कक्षा पहली से उच्च शिक्षा स्तर तक नियमित रूप से अध्ययनरत निःशक्त छात्र/छात्राओं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को विभाग द्वारा पात्रता अनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।

निःशक्त (विद्यार्थियों) को छात्रवृत्ति दरें

क्र.	स्कूल का स्तर	कक्षा	दर	दस माह हेतु
1.	प्राथमिक एवं मिडिल स्तर	1 से 8 तक	रू0 50/–	रू0 500/–
2.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/आईटीआई	9 से 12 तक	रू0 100/–	रू0 1000/–
3.	स्नातक/स्नातकोत्तर/पॉलीटेक्नीक	सभी संकाय को एक समान	रू0 200/–	रू0 2000/–

दृष्टिबाधित निःशक्त को वाचक भत्ता

क्र.	स्तर	दर	दस माह हेतु
1.	स्नातक/पॉलीटेक्नीक	रू0 100/–	रू0 1000/–
2.	स्नातकोत्तर	रू0 125/–	रू0 1250/–
3.	तकनीकी पाठ्यक्रम	रू0 150/–	रू0 1500/–

प्रोत्साहन राशि

परीक्षा का स्तर	नियमित प्रवेश	प्रोत्साहन राशि
कक्षा 8वीं	कक्षा 9वीं	रू0 2500/– एकमुश्त
कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	
कक्षा 12वीं	स्नातक(किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर)	रू0 3000/– एकमुश्त

छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्ते रहेंगी :–

1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रुप से अध्ययनरत् हो।
2. 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
3. उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों ।

मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना

निःशक्त विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना 20 जून 2013 से प्रारंभ की गई है।

सहायता का स्वरूप

निःशक्तता की श्रेणी	सामग्री का नाम	प्रथम बार	द्वितीय बार
मंदबुद्धि	लेपटाप	10वीं में प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही	स्नातक/पोलिटेक्निक में प्रवेश लेने पर
दृष्टिबाधित	––"––	––"––	––"––
श्रवणबाधित	––"––	––"––	––"––
अस्थिबाधित (दोनो हाथ न होने पर)	––"––	––"––	––"––
अस्थिबाधित (दोनो पैरों से चलने में अक्षम)	मोट्रेट ट्रायसिकल	––"––	––"––

पात्रता के मापदण्ड

(1) मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।

(2) अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने गत परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किये हों एवं अन्य श्रेणी के निःशक्तजनों ने 50% अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, महाविद्यालय अथवा पोलीटेक्निक (कालेज में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा) हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।

(3) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता की श्रेणी में आते हुये, अस्थिबाधित जो दोनों पैरा से चलने में असमर्थ, दृष्टिबाधित 40% से अधिक, श्रवण बाधित 40% से अधिक, मंदबुद्धि जिनको चिकित्सकों द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

(4) स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।

मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता परिवहन भत्ता योजना

राज्य सरकार द्वारा अपने साधनों से मध्यप्रदेश निवासी निःशक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में ली जाने वाली शिक्षण शुल्क के बराबर शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमो में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/– प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ते का भुगतान सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के माध्यम से किया जाता है ।

निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

योजना का उद्देश्य ऐसे निःशक्त छात्र/छात्राऐं, जो कक्षा 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में नियमित रूप से प्रवेश लेने पर तथा जिन्हें विद्यालय/महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम 5 छात्र के लिए निजी भवन किराये पर लेकर छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका व्यय भार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वहन किया जावेगा। यह योजना दिनांक 8–9–2008 से प्रभावशील है।

नोट :– निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक पुर्नवास एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित सभी शिक्षा प्रोत्साहन से संबंधित योजना में पात्रता के मापदण्ड में आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है।

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

योजना का उद्देश्य 2–2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं, 2–2 श्रवण बाधित एवं 2–2 दृष्टि बाधित निःशक्त छात्र/छात्राओं अर्थात् कुल 12 चयनित निःशक्त विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पीएचडी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह योजना 12.8.2008 से प्रभावशील की गई है।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

निःशक्त अभ्यार्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन के लिए "**सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2008**" दिनांक 8–8–2008 से प्रारंभ की जाकर प्रभावशील है। उक्त योजना में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 20000/–मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रूपये 30000/– तथा अंतिम चयन होने पर रूपये 20000/– प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995) की धारा 42 में निःशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः निःशक्त व्यक्ति की पहचान कर उनकी शल्य चिकित्सा, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण आदि उपब्ध कराने के उद्देश्य से निःशक्त व्यक्ति जिन्हें अपना कार्य करने के लिये विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो, को चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उनकी कार्यक्षमता बढाये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। जिसमें ट्राईसाइकिल, वैसाखी, कैलीपर्स, व्हीलर्चयर एवं श्रवण यंत्र आदि है।

निःशक्त पेंशन योजना

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 80 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजनों को भारत सरकार द्वारा रु0 300/– प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है। 80 वर्ष एवं अधिक आयु के निःशक्त को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।
2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 6 से 18 वर्ष तक के निःशक्त, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको प्रतिमाह रुपये 150/– की दर से पेंशन भुगतान की जाती है।

बहुविकलांग एवं मानसिक रुप से निःशक्त व्यक्ति को आर्थिक सहायता

मध्यप्रदेश के सभी छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति को रूपये 500/–(रूपये पांच सौ) प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.6.2009 से प्रारंभ की गई है।

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन में दंम्पत्ति में कोई एक के निःशक्त होने पर रू. 50,000/–(रुपये पचास हजार) एवं दोनों के निःशक्त होने पर रू. 1,00,000/–(रुपये एक लाख) एक मुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है। पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना पर होने वाला व्यय जिले में संग्रहित निराश्रित निधि से किया जाता है। यदि निःशक्त व्यक्ति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह करता है तो रू. 25,000/– अतिरिक्त सहायता/सामग्री दिये जाने के प्रावधान भी है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 12–8–2008 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत ऐसे बच्चे, जिनमें जन्म से अथवा जन्म के बाद श्रवण क्षमता नहीं होने के कारण सुनने और बोलने में असमर्थ होते हैं, उनमें सुनने और बोलने की क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना 2013"** प्रारंभ की गई है।

योजनांतर्गत बच्चे की आयु 1 से 5 वर्ष की हो, चिकित्सक की सलाह पर 5 से 7 वर्ष तक। ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं और उनकी श्रवण शक्ति मस्तिषक ज्वर के प्रभाव से समाप्त हो गई है, को चिकित्सक की सलाह तथा तकनीकी समिति की अनुशंसा पर कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए अधिकतम सीमा रुपयें 8 लाख का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आयकर दाता न होने की शर्त रखी गई है।

उक्त योजना सितम्बर 2014 से स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की गई है।

निःशक्तजनों हेतु हेल्प लाईन

निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं एवं मार्गदर्शन हेतु वर्ष 2008 से टोल फ्री दूरभाष हेल्प लाईन नंबर 1800–233–4397 निरंतर संचालित है, जिसमें **1,76,978** (17 फरवरी 2016 की स्थिति में) निःशक्तजन लाभांवित हुये।

उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित हितग्राही

(जनवरी 2016 की स्थिति में)

क्रमांक	योजना	हितग्राही	व्यय (लाख में)
1	छात्रवृत्ति	1,631	19.04
2	शिक्षा प्रोत्साहन योजना • लेपटाप वितरण • मोट्रेट साईकिल वितरण	 20 146	 9.77 7.96
3	उच्च शिक्षा हेतु फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	163	41.82
4	छात्रगृह योजना	19	0.38
5	सिविल सेवा प्रोत्साहन	49	17.30
6	कृत्रिम अंग उपकरण वितरण	21757	713.67
7	निःशक्त पेंशन	1,01,153	4012.03
8	मानसिक एवं बहुविकलांग सहायता	55,595	3066.89
9	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	780	412.50

निःशक्त विवाह

वर्ष	हितग्राही	व्यय (लाख में)
2008–09	103	25.75
2009–10	207	53.00
2010–11	738	144.82
2011–12	1141	286.96
2012–13	1775	369.77
2013–14	1514	498.55
2014–15	779	214.50
2015–16	780	412.50

विश्व विकलांग दिवस

विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 3 दिसम्बर को किया जाता है। निःशक्त व्यक्तियों के सामर्थ्य एवं प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 से विश्व विकलांग दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में रूपये 53 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिला स्तर पर निःशक्त बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद–विवाद, सांस्कृतिक, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

———

स्पर्श अभियान

निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुर्नवास के लिए वर्ष 2011 से स्पर्श अभियान का निरन्तर क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्पर्श अभियान के तहत प्रथम चरण में निःशक्त व्यक्तियों के सर्वे में लगभग 8 लाख से अधिक निःशक्त पाये गये हैं। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के पोर्टल पर समस्त निःशक्तजनों का डाटा अपलोड किया जा चुका है।

स्पर्श पोर्टल

http://socialjustice.mp.gov.in/sparsh/

http://sparsh.samagra.gov.in/

शल्य चिकित्सा शिविर

स्पर्श अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2015–16 में 12 जिलों में 100 शल्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया।

कौशल विकास प्रशिक्षण

स्पर्श अभियान के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की कार्यवाही की गई है । प्रशिक्षण देने हेतु 5 आई.टी.आई. यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा में चिन्हित किये जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करवाया गया । इन आई.टी.आई. में विभिन्न ट्रेड्स यथा आई.टी.सी.एस., एम.ओ.एम., विघुत, प्रोडक्शन, मेकेनिकल फार्मेसी, वीडियोग्राफी, इलेक्ट्रानिक्स, सिविल, डाटा इंट्री आपरेटर, फेशन डिजाईन एवं ड्रेस मेकिंग, आफिस अस्सिटेंट, कम्पयूटर आपरेटर आदि ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया गया ।

कौशल उन्नयन के अंतर्गत व्ही.टी.पी. में पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से निःशक्तों को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान करने की कार्यवाही की गई है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद द्वारा निःशक्तजन छात्र/छात्राओं के लिए रियायती ब्याज दर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा हेतु ऋण, युवा स्वावलंबन योजना, व्यावसायिक/ट्रेनिंग कोर्स के लिए स्वरोजगार योजना के तहत ऋण आबंटन किया जाता है। प्रदेश के 77 निःशक्तजनों को अब तक राशि रुपये 1.02 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा उज्जैन में क्षेत्रीय केन्द्र सह प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जाना है, इस हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जाकर आबंटन की कार्यवाही प्रचलन में है। मध्यप्रदेश के निःशक्तजनों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु रोजगारोन्मुखी ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी।

.....

ब्रेल प्रेस

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दृष्टिबाधित निःशक्तजनों हेतु हैवी डयुटी एण्ड हाई स्पीड कप्यूजटराईज्ड ब्रेल प्रिन्टर 2000 पीपीएच एवं 1000 पीपीएच मशीन की स्थापना सितम्बर 2002 में अधीक्षक, दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विधालय, भोपाल में प्रतिष्ठापित की गई है। वर्तमान में ब्रेलप्रेस के माध्यम से दृष्टिबाधित हेतु मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र (कक्षा 1 से 8 तक), पाठ्यपुस्तयक निगम (कक्षा 9 से 12 तक) की सभी विषयों की पुस्तकें मुद्रित करायी जाकर वितरित की जा रही है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल व हायर सेकण्डरी स्कूल की अंकसूची ब्रेल प्रेस द्वारा मुद्रित की गई।

धर्म दर्शन की पृष्ठभूमि से खजुराहो मूर्तिकला एक परिचय का ब्रोसर, लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर एवं साईनेज पेपर इत्यादि को ब्रेल प्रेस द्वारा मुद्रित किया गया।

सुधारात्मक सेवाऐं

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का क्रियान्वयन

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को, जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हो, को कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है। न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरणों पर परिवीक्षा अधिकारी से अपराधी के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर परिवीक्षा पर छोड़ने का आदेश पारित किया जाता है तथा निर्धारित अवधि तक परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में रखने का आदेश भी दिया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध हैं।

भिक्षावृति निवारण योजना

मध्यप्रदेश भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 1973 वर्तमान में इन्दौर एवं उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में प्रभावशील है। इसके अन्तर्गत एक भिक्षुक प्रवेश गृह एवं प्रमाणित संस्था इन्दौर में संचालित हैं। संस्था अन्तर्गत वर्तमान में कुल 10 भिक्षुक लाभान्वित हो रहे हैं।

निराश्रित निधि

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के तहत म0प्र0 निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम संशोधित 2013 बनाये गये हैं । अधिनियम के अन्तर्गत कृषि उपज पर क्रेताओं से संग्रहित निराश्रित शुल्क की राशि का निराश्रितों पर व्यय प्रावधानित किया गया है।

प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है –

- **(नियम 3) में उपनियम (5)** निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 अनुसार निःशक्तता की परिभाषा पूर्व से है। इसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित निःशक्तता आर्टिज्म, सेरेब्रलपाल्सी, मन्टीपल डिसेबिलिटी एवं मेंटल रिटार्डेशन को भी सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही विधवा/ परित्यक्ता तथा 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ निराश्रित बच्चो को भी जोड़ा गया है ।
- **(नियम 5) में उपनियम (3)** अशासकीय भूमि के मामले में सरकार के नाम पर उसे रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा तथा सरकार के पक्ष में न्यूनतमम दर पर लीज निष्पादित की जाएगी ।

- **(नियम 6) (4)** भवन निर्माण में कलेक्टर को रु0 5 लाख तक तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय को ₹ 1 करोड़ (एक करोड़) की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्रावधानित है ।
- **नियम–6 (5)** भवन निर्माण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है ।
- **नियम–6 (6)** भवन के निर्माण एवं मूल्यांकन हेतु राजधानी परियोजना प्रशासक/म0प्र0 गृह निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मंडल को सम्मिलित किया गया है ।
- **(नियम 8) (2)** वृद्धाश्रम/विशेष शालाओं की स्थापना करते समय कलेक्टर फर्नीचर, पलंग, वस्त्र, बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना बनाने के बर्तन, टी.व्ही. के फर्नीचर आदि की स्वीकृति दे सकेगा तथा 5 वर्ष पश्चात पुनः स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी ।
- **(नियम–8) (3)** आश्रम में निवासरत अंतःवासियों को दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में ₹ 20,000/– (बीस हजार) की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी।
- **(नियम 10) (4)** प्रयोजक को बिजली, पानी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- **(नियम 10) (7)** कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर किसी अंतःवासी के इलाज पर अधिकतम ₹ 5,000/– प्रतिवर्ष व्यय स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ।
- **नियम 11(ख)** सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन से, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत म0प्र0 राज्य बीमारी तथा स्थायी निःशक्तता निधि के अंतर्गत चिन्हित शल्य क्रिया तथा अंगमर्दिका के उपचार के लिए कलेक्टर द्वारा ₹ 5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की जा सकेगी ।
- **नियम 11 (ठ) नियम 3** में यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्तियों के उपचार हेतु कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर, पैथोलाजी टेस्ट जैसे, एक्स–रे, सी.टी.स्केनिंग, एम.आर.आई, एंजियोाग्राफी, टी.एम.टी., इको– कार्डियोग्राफी के लिये ₹ 10,000/–स्वीकृत कर सकेगा ।
- **नियम (12) (1)** जिला संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय नियम 11 के खण्ड (घ) के प्रयोजन हेतु ₹ 10,000/– एक माह में तथा वार्षिक ₹ 1.00 लाख व्यय के अधिकार ब्याज की राशि से दिये है ।
- **(नियम 13) (1) में प्रतिस्थापित किया गया है –** आश्रम के अंतःवासियों की अत्येष्टी संस्कार हेतु 2000/– की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा।

- **(नियम 13) (2)** ऐसे व्यक्ति के शव जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित हो की अत्येष्टि संस्कार हेतु 2000/– की स्वीकृति कलेक्टर दे सकेगा ।
- **(नियम 13) (3)** निःशक्त, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं उनके जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आकस्मिक सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता होने पर सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से रुपये 2000/– मंजूर किया जा सकेगा ।
- **(नियम 14) (1)** कर्मचारीवृंद की नियुक्ति (क) वृद्धाश्रम, (ख) विशेष शाला, (ग) छात्रावास के उचित पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा प्रबंध के लिए, आश्रम की आवश्यकता अनुसार सरकार द्वारा अवधारित दर के अनुसार पदों को संविदा आधार पर भरे जाने हेतु कलेक्टर अग्रसर हो सकेगा ।
- **नियम (19) (1) (ख)** जिला स्तर पर संग्रहित की गई निराश्रित निधि की 20 प्रतिशत रकम, राज्य निराश्रित निधि में प्रति वर्ष जमा की जाएगी।

जिलों हेतु निराश्रित निधि के अनुमोदित बजट अनुसार प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर राशि के व्यय हेतु कलेक्टर स्वयं सक्षम होंगे।

निराश्रित निधि के माध्यम से संचालित कार्यक्रम

- निराश्रितों के लिये आश्रमों की स्थापना, ऐसे निराश्रित जो फुटपाथ पर रात व्यतीत करते हो,उन्हें रात्रि गुजारने के लिये रैन बसेरा, दिवाकेन्द्र की स्थापना।
- निःशक्त बच्चों के लिये रहवासी अथवा गैर रहवासी विशेष शालाओं की स्थापना तथा निराश्रितों एवं निर्धनों के लिये रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ।
- निराश्रितों के कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदाय, निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्यशाला सेमीनार, प्रदर्शन, चलित इकाइयों की स्थापना समुदाय आधारित पुनर्वास योजना आदि।
- जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्रों का संचालन।
- निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, 2008 का संचालन।

———

रैन बसेरा

नगरीय क्षेत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 196/2001 के निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार प्रदेश के 24 नगरीय निकायों यथा भोपाल में 11, ग्वालियर में 07, इन्दौर में 15, जबलपुर में 09, उज्जैन में 04, सागर में 02, मुरैना में 01, भिण्ड में 01, शिवपुरी में 01, गुना में 01, विदिशा में 01, मंदसौर में 01, नीमच में 01, दमोह में 01, छतरपुर में 01, छिन्दवाडा में 01, खण्डवा में 01, बुरहानपुर में 01, रतलाम में 02, देवास में 02, कटनी में 01, रीवा में 01, सिंगरौली में 01 एवं सतना में 02, इस प्रकार कुल 69 रैन बसेरों के निर्माण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति निराश्रित निधि से प्रदाय की गई। वर्तमान में 65 रैन बसेरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 04 निर्माणाधीन हैं।

धार्मिक स्थल

वरिष्ठ नागरिकों के लिये, प्रमुख धार्मिक स्थलों यथा– अमरकंटक, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, नेमावर, सलकनपुर, रानगिर, पटनेश्वरधाम, एवं भादवामाता में रैन बसेरा निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई। धार्मिक स्थल ओरछा, दतिया, के संबंध में स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

डे–केयर सेंटर

वरिष्ठ नागरिकों के लिये दिन में समय व्यतीत करने हेतु मनोरंजन केन्द्र ''डे केयर सेंटर'' संचालन का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। डे केयर सेंटर में कैरम, शतरंज, पठन–पाठन हेतु पुस्तकें, दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि रखी जाती हैं। इनका संचालन, स्थानीय नगरीय निकाय, पंचायतों तथा अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश के 30 जिलों में 54 डे केयर सेंटर स्थापित होकर संचालित हैं।

वृद्धाश्रमों का संचालन

वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण एवं संरक्षण हेतु वृद्ध व्यक्तियों के लिये मौलिक सुविधाएं जैसे–आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदाय करने की दृष्टि से गैर–सरकारी संगठन, पंचायतीराज संस्थाएं, स्थानीय निकायों के माध्यम से वृद्धावस्था के अनुकूल आश्रमों को प्रोत्साहित करके, वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से वृद्धाश्रमों का संचालन किया जा रहा है।

भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अशासकीय संस्थाओं को 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वृद्धाश्रमों के संचालन के लिये म0प्र0 निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013 के प्रावधान अनुसार अशासकीय संस्थाओं/स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान दिया जाता है। वृद्धाश्रमों के संचालन हेतु मासिक व्यय के आधार पर वास्तविक व्यय अनुसार वित्तीय स्वीकृति के अधिकार कलेक्टर को प्रदत्त हैं। प्रदेश के 50 जिलों में 79 वृद्धाश्रम संचालित किये जा रहे हैं। (वृद्धाश्रमों की सूची परिशिष्ट–3 पर उपलब्ध है।)

आसरा वृद्धाश्रम के अंतःवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक 11 अक्टूबर 2015

आनन्द धाम वृद्धाश्रम के अंतःवासियों द्वारा देवदर्शन भ्रमण

आसरा वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों हेतु भजन संध्या कार्यक्रम

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 का क्रियान्वयन

- माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 प्रदेश में 23 अगस्त 2008 से लागू ।
- उक्त अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा म0प्र0 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009, अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 2009 के द्वारा जारी ।
- धारा 7 (1) के तहत प्रदेश के समस्त जिलो के 352 उपखण्डों में भरण पोषण अधिकरण गठित।
- धारा 15 (1) के तहत प्रत्येक जिले में अपील अधिकरण गठित ।
- धारा 18 (1) के तहत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के समस्त जिला अधिकारी, भरण पोषण अधिकारी के रुप में पदाभिहित।

अधिनियम के मुख्य उद्देश्य

- वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक, जो कि अपने आय अथवा अपनी संपत्ति के द्वारा होने वाली आय से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वे अपने व्यस्क बच्चों अथवा संबंधितों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ता

- प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, वह अपने संबधितों से भी भरणपोषण की मांग कर सकता है, जिसका उनकी संपत्ति पर स्वामित्व है अथवा जो कि उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो सकते हैं ।
- वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा एवं परित्याग एक सज्ञेय अपराध है, जिसके लिये रुपये 5000/– का जुर्माना या तीन माह की सजा या दोनों हो सकते हैं ।
- अधिकरण द्वारा मासिक भरणपोषण हेतु अधिकतम राशि रुपये 10,000/– प्रतिमाह तक का आदेश किया जा सकता है ।
- सभी शासकीय चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर उपलब्ध कराया जाता है तथा चिकित्सालयों में विशेष पंक्तियों का प्रबंध किया गया है।

अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही

- भरण पोषण अभिकरण 352
- अपीलीय अभिकरण 50
- अपीलीय अभिकरणों में वर्ष 2015–16 में 158 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें से 73 का निराकरण किया गया ।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 के लिए 10.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया।

शतायु सम्मान

1 अक्टूबर 2015 अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के वृद्धजन, जिनके द्वारा 100 वर्ष की आयु पूर्ण की गई, उन वृद्धजनों का **शतायु सम्मान** किया गया। **36** वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण भोपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम की झलकियां

सामाजिक सहायता कार्यक्रम

भारत सरकार के कार्यक्रम

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्तियों को, जिनके पास अपनी जीविकोपार्जन के लिये पर्याप्त साधन न हो, को पेंशन देने का प्रावधान है।

राज्य शासन द्वारा 65 वर्ष एवं अधिक आयु के हितग्राहियों को दिनांक 1–4–2006 से रु. 75/– राज्य अंश के रुप में अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है। दिनांक 01/09/2012 से 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के हितग्राहियों को रु0 500/– मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2016 तक)	हितग्राही
2015–2016	**42903.00**	**39362.46**	**1362291**

पात्रता के मापदंड

(1) आवेदक की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।

(2) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

पेंशन की राशि

(1) 60 वर्ष से 64 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 200/– की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (केन्द्रांश मद) से प्रदाय की जाती है।

(2) 65 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 200/– (केन्द्रांश) की दर से पेंशन प्रदाय की जा रही है। इस आयु वर्ग के वृद्वजनों को राज्य सरकार द्वारा रू0 75/– की अतिरिक्त सहायता प्रदाय की जाती है।

(3) 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह रु0 500/– (केन्द्रांश) की दर से राशि प्रदाय की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना प्रदेश में 1–4–2009 से प्रारंभ की गई है । योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से रुपये 300/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

80 वर्ष एवं अधिक आयु के हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

पात्रता के मापदंड

(1) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।
(2) आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी ।
(3) आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

पेंशन की राशि

विधवा महिला हितग्राही को प्रतिमाह 300 रु0 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2016 तक)	हितग्राही
2015–2016	35271.45	22852.39	882615

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 1–4–2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजनों को भारत सरकार के मद से राशि रु0 300/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है ।

80 वर्ष एवं अधिक आयु के हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 500/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है।

पात्रता के मापदंड

(1) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी ।
(2) आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से

नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

(3) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत 80 प्रतिशत निःशक्तता होना चाहिए ।

पेंशन की राशि

निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह 300 रु0 की दर से पेंशन केन्द्रांश मद से प्रदाय की जा रही है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2016 तक)	हितग्राही
2015–2016	6108.00	4515.04	102972

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

प्रदेश में **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना** दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य (स्त्री/पुरूष) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है । यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है । योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20,000/–की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2016 तक)	हितग्राही
2015–2016	7450.00	6191.74	30958

पेंशन योजनाएं : योजनाओं के नाम व पात्रता की शर्तें

क्रं.	योजना का नाम	लाभ	पात्रता की शर्तें
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रू. 150/– प्रतिमाह	• 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्व • 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की BPL विधवा महिला • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की BPL परित्यक्तता महिला • 06 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के BPL निःशक्त व्यक्ति, जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना	रू. 200/– प्रतिमाह रू. 275/– प्रतिमाह रू. 500/– प्रतिमाह	• 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के BPL वृद्व • 65 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL वृद्व • 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के BPL वृद्व
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रू. 300/– प्रतिमाह	• 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु की BPL विधवा महिला
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	रू. 300/– प्रतिमाह	• 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के BPL निःशक्त व्यक्ति, जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो।
5	कन्या अभिभावक पेंशन योजना	रू. 500/– प्रतिमाह	• आयकर दाता नहीं होना चाहिये। • आवेदक दंपत्ति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये। • दंपत्ति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये।
6	छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना	रू. 500/– प्रतिमाह	• मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक। • निःशक्तता प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन हो।

राज्य के कार्यक्रम

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राज्य शासन द्वारा वर्ष जनवरी 1981 से **सामाजिक सुरक्षा पेंशन** योजना संचालित की जा रही है ।

पात्रता के मापदण्ड

योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश के निवासी जो –

- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध,
- 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के निःशक्त व्यक्ति, जिसकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों।

पेंशन की दर

- रु0 150/– प्रतिमाह

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2016 तक)	हितग्राही
2015–2016	27611.23	16904.32	834910

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं है, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो, को 500/– रुपये प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष	आवंटन	व्यय (जनवरी 2016 तक)	हितग्राही
2015–2016	2311.20	1479.57	28556

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु "**मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना**" 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।
- योजनांतर्गत निम्न सहायता दी जाती है :–
  - कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली हेतु 5 वर्ष तक के लिए सावधि जमा रुपये 10000/–।
  - विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (बिछिया, पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000/– (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।)
  - कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिए रुपये 7000/– (यह राशि कन्या के स्वंय के बचत खाते में विवाह के एक दिन बाद अनिवार्य रुप से हस्तांतरित की जाती है।)
  - सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000/–।
  - इस प्रकार कुल राशि रुपये 25,000/– प्रति कन्या के मान से दिये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से अभी तक कुल 3,46,969 कन्याओं के विवाह संपन्न कराये गये है।

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2006-2007	1000.00	1327.00	13,498
2007-2008	1920.00	1362.00	33,321
2008-2009	2618.00	4329.00	43,737
2009-2010	2500.00	2485.00	19,597
2010-2011	3801.00	3964.70	39,647
2011-2012	4201.00	4156.40	36,651
2012-2013	6787.80	6787.80	45,252
2013-2014	12592.00	10452.22	55334
2014-2015	10915.00	6074.59	20077
2015-2016	20789.20	9490.67	39855

मुख्यमंत्री निकाह योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जरुरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है । मुख्यमंत्री निकाह योजना वर्ष 2012 से प्रभावशील की गई है ।

योजनान्तर्गत राशि रुपये 25,000/– की सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही प्रदान की जाती है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत अब तक कुल 7025 कन्याओं के निकाह सम्पन्न कराये गये।

(राशि लाखों में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2012–2013	200.00	260.90	1766
2013–2014	800.00	474.60	2579
2014–2015	200.00	123.25	1248
2015–2016	500.00	243.29	1432

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना प्रदेश में दिनाक 11.10.07 से प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत ऐसे समस्त खेतिहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हो तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं हो पात्र होगें। इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार सुविधाए/सहायता प्रदान की जा रही हैः–

1. **प्रसूति सहायता :–** पंजीकृत मजदूर की पत्नी अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये 6 सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि, पितृत्व अवकाश के रुप में शिशु के पिता द्वारा अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि तथा प्रसूति व्यय के लिये रु0 1000/– नगद राशि (यदि प्रसूति व्यय जननी सुरक्षा योजनांतर्गत प्राप्त हो रहा हो तो इस योजनांतर्गत यह भुगतान नहीं किया जावेगा) प्रदान की जाती है। सहायता राशि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सीधे हितग्राही को उपलब्ध कराई जाती है।

2. **बीमा सहायता** :– आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हितग्राही का बीमा कराया जाता है।

3. **दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टी सहायता** :–पंजीबद्ध मजदूर या उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में अन्त्येष्टी के लिये रुपये 3000/– की सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015–16 में माह जनवरी 2016 तक 33.22 लाख का व्यय किया जाकर 1643 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

———————

आम आदमी बीमा योजना

भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से दिनांक 2 अक्टूबर 2007 को भूमिहीन ग्रमीण मजदूरों के लिये आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केवल भूमिहिन ग्रामीण मजदूरो के लिए है। इस योजना के सदस्य 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति होंगे, बीमित सदस्य ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होगा।

- बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर – रू0 30,000/–
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ/पैर अक्षम होने पर– रू0 37,500/–
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर – रू0 75,000/–

का बीमा लाभ दिया जाने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित हितग्राही के 2 बच्चों तक, जो कक्षा नौंवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हैं, उनकों प्रतिमाह रू0 100/– की शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान है ।

जनश्री बीमा योजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी एवं ग्रामीण लोग, जो मध्यप्रदेश शासन की अन्य योजना यथा आम आदमी बीमा योजना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये जनश्री बीमा योजना 1–1–2009 से प्रारंभ की गई है।

इस योजना के सदस्य 18 से 59 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति होंगे।

- बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर – रू0 30,000/–
- दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ/पैर अक्षम होने पर– रू0 37,500/–
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर – रू0 75,000/–

का बीमा लाभ दिया जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बीमित हितग्राही के 2 बच्चों तक, जो कक्षा नौंवी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन करते हैं, को प्रतिमाह रू0 100/– की शिक्षावृत्ति देने का प्रावधान है।

अन्त्योदय मेला

आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम

प्रदेश में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को प्राप्त हो इस दृष्टि से समस्त जिलों में अन्त्योदय मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश में वर्ष 2015–16 में कुल 53 मेलों का आयोजन किया गया।

नशामुक्ति कार्यक्रम

समाज में नशा सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर युवा वर्ग को नशे की लत से दूर करने के लिये प्रचार–प्रसार के माध्यम से नशा के दुष्परिणामों को बताया जाकर, नशामुक्ति के लिये वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस हेतु कलापथक दलो के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कलामण्डलियों, स्वैच्छिक संस्थाओं, विद्यालयो, महाविद्यालयों के माध्यम से जनजागृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत, 31 मई अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस, 26 जून अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस, 2 से 8 अक्टूबर मद्य निषेध सप्ताह तथा 30 जनवरी संकल्प दिवस का आयोजन प्रदेश स्तर पर कराये गये हैं।

नशामुक्ति के लिये सघन प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिये, विभागीय मान्यता प्राप्त 301 स्वैच्छिक संस्थाएँ कार्यरत् हैं।

नशामुक्ति कार्यक्रम के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपये 375.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत, जिसके विरूद्व जनवरी 2016 तक रूपये 270.22 लाख का व्यय किया गया हैं।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र की स्थापना/संचालन के लिये 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में स्वैच्छिक संस्थाअें द्वारा इन्दौर, ग्वालियर, नीमच, उज्जैन, सीहोर, रीवा, भोपाल, श्योपुर, राजगढ़, सीधी, बालाघाट, गुना, पन्ना, जबलपुर, विदिशा एवं खण्डवा में नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 18 नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं। (सूची परिशिष्ट पांच पर हैं)

विभिन्न आयोजित कार्यक्रमों की झलक

कलापथक योजना

प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को क्षेत्रीय प्रचलित लोक शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रमो जैसे लोकगीत लोकनाट्य एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुॅचाने के उद्देश्य से वर्ष 1955 से निरंतर विभाग में कलापथक योजना संचालित है। योजना के तहत प्रदेश के 38 जिलो में एक कलापथक इकाई कार्यरत है। योजनान्तर्गत प्रत्येक कलापथक दल में एक प्रमुख कलाकार एवं सात सहयोगी कलाकार रहते है। जिसमें प्रत्येक दल को प्रति माह में कुल 12 कार्यक्रम प्रदर्शन किया जाना निर्धारित है।

पुरस्कार योजनाएं

महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना

राज्य स्तर पर व्यक्तिगत/संस्था को निःशक्त कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने के लिए महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना दिनांक 14.8. 2008 से प्रारंभ की गई है। उक्त पुरस्कार विकलांगता की चारों श्रेणियों अस्थिबाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता के क्षेत्र में पृथक–पृथक प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम पुरस्कार स्वरूप रूपये 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार रूपये 50 हजार तथा तृतीय पुरस्कार रूपये 25 हजार, शाल श्रीफल एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार

समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिवर्ष एक राज्य स्तरीय समाज सेवा पुरस्कार देने की योजना है। प्रदेश में निवास कर रहे विकलांग, वृद्ध दुर्बल एवं निराश्रत व्यक्तियों, पीड़ित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण एवं विकास तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन एवं नशाबंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रुप में राशि रूपये एक लाख एवं प्रशस्ति पत्र देने की योजना है ।

विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार

नशामुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/ स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिये विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदान करने की योजना संचालित है। विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार जिला स्तर पर राशि रुपये 10 हजार, राज्य स्तर पर रुपये 1.00 लाख तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

सुशीलचन्द्र वर्मा उत्कृष्ठ पुरस्कार योजना

विभाग अंतर्गत शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं शासकीय कार्यों में हर स्तर पर गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें पुरस्कृत करने के लिये प्रतिवर्ष "**सुशील चन्द्र वर्मा उत्कृष्ट पुरस्कार**" दिया जाता है। राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार के लिये रुपये 50 हजार की राशि प्रदान की जाती है।

———

मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010

मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2010 से मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 लागू किया गया है। जिसमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की 06 सेवाओं को इस अधिनियम में अधिसूचित किया गया है।

क्रमांक	सेवाएं	आवेदन पत्र किसे देना है (पदाभिहित अधिकारी)	काम की समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम	प्रथम अपील की निराकरण की समय सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**7.1 सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्यदिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30कार्य दिवस	कलेक्टर
2	**7.2 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब.अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
3	**7.3 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र	60 कार्य	अ. कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त

		अ. आयुक्त नगर निगम	दिवस			
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
4	**7.4 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन की प्रथम बार स्वीकृति एवं प्रदाय**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
5	**7.5 राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	30 कार्य दिवस	अ. कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	30 कार्य दिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
6	**7.6 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का प्रदाय**	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	60 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त नगर निगम	60 कार्य दिवस	अ. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका/नगर पंचायत	60 कार्य दिवस	ब. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व	30 कार्य दिवस	कलेक्टर

आयुक्त निःशक्तजन

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा–60 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश की स्थापना वर्ष 1997 में की है। मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ–1–9/2002/26–1, दिनांक 5 जून 2013 द्वारा, आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश के पद पर श्री बलदीप सिंह मैनी, को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है।

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश को उपरोक्त अधिनियम में निःशक्तजनों के हितों के संरक्षण के संबंध में अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जो प्रमुखतः निम्नानुसार है–

- निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों, उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का संरक्षण प्रदान करना।
- निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित मामलों/ परिवादों में संज्ञान लेकर न्याय निर्णयन पारित करना।
- निःशक्तजनों के कल्याण हेतु उत्तरदायी विभागों के साथ एडव्होकेसी बैठक कर, निःशक्तजनों के लिए संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा कराना।
- प्रदत्त न्यायिक शक्तियों के तहत् प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कोर्ट का आयोजन कर, निःशक्तजनों की समस्याओं/शिकायातों पर त्वरित न्याय निर्णयन करना।
- निःशक्तजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत् शासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों एवं उपयोग किए जाने वाली निधियों की मॉनिटरिंग एवं अनुवीक्षण करना।

मोबाईल कोर्ट तथा एडव्होकेसी बैठक

जिला	दिनांक	मोबाईल कोर्ट में प्राप्त शिकायतें/समस्याएं	एडव्होकेसी बैठक
जिला अशोकनगर	09.09.2015	304	उत्तरदायी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर निःशक्तजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत् लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिला गुना	11.09.2015	156	
जिला छिन्दवाडा	22.09.2015	297	
जिला सिवनी	24.09.2015	252	
जिला देवास	14.11.2015	164	
जिला ग्वालियर	06.10.2015	155	
जिला मुरैना	08.10.2015	512	
जिला सीधी	28.10.2015	39	
जिला जबलपुर	03.11.2015	182	
जिला कटनी	05.11.2015	496	
जिला इंदौर	18.11.2015	180	
जिला उज्जैन	19.11.2015	98	
जिला धार	30.11.2015	128	
जिला खरगोन	02.12.2015	228	
जिला बडवानी	04.12.2015	154	
जिला छतरपुर	07.12.2015	128	
जिला पन्ना	10.12.2015	208	
जिला नीमच	29.12.2015	254	

निःशक्तजनों के कल्याण हेतु गतिविधियां संचालित करने वाली शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के मॉनिटरिंग/अनुवीक्षण

निःशक्तजनों के लिए शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से विशेष विद्यालय, छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुनर्वास केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। विशेष कार्ययोजना बनाई जाकर प्रदेश के जिलों में संचालित संस्थाओं का निरीक्षण एवं अनुवीक्षण किया गया है, जिसके तहत् इस वर्ष 23 शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं का मॉनिटरिंग किया जाकर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। मॉनिटरिंग में संस्थाओं की गतिविधियों में गुणात्मक सुधार करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत् सतत् मॉनिटरिंग/अनुवीक्षण किया जाता रहेगा।

निःशक्तजनों की प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों का निराकरण

निःशक्तजनों द्वारा आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश के न्यायालय में 248 प्रकरण इस वर्ष में पंजीकृत हुए हैं जिनमें सुनवाई कर प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

———————

मध्यप्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश दिनांक 28 जनवरी 2008 द्वारा राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा अब तक चार प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किये जा चुके है। पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। चतुर्थ प्रतिवेदन दृष्टिकोण 2018 तक सामान्य निर्धन वर्ग के समग्र विकास के लिए 18 अनुशंसायें प्रस्तुत की गई है।

सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसाओं पर निम्न योजनायें संचालित है–

1.सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7 वीं और 8 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 200 रूपये तथा छात्राओं को 300 रूपये सालाना की छात्रृत्ति दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय 54 हजार रूपये से अधिक न हो।

2. स्वामी विवेकांनद प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना

शासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10 वीं में पढ़ रहे सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को सालाना 300 रूपये तथा छात्राओं को 400 रूपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है इस छात्रवृत्ति की पात्रता उन सभी को है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय 54 हजार रूपये से अधिक न हो।

3. स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना

शासकीय विद्यालयों में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ग्यारहवीं में तथा 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 500 रूपये प्रतिवर्ष तथा छात्राओं को 550 रूपये प्रतिवर्ष दी जाती है। छात्रवृत्ति की यह सुविधा सामान्य निर्धन वर्ग के ऐसे परिवारों के छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 54,000 रूपये से अधिक न हो।

4. सुदामा शिष्यवृत्ति योजना

उत्कृष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले और छात्रावास में रहने वाले सामान्य निर्धन छात्रों को 500 रूपये प्रतिमाह और छात्राओं को 550 रूपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति 10 माह के लिए दी जाती है। शिष्यवृत्ति की यह सुविधा उन छात्र और छात्राओं को मिलती है जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 54,000 रूपये से अधिक न हो।

5. डॉ ए.पी.जे.अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना

योजना के तहत प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय में सामान्य निर्धन छात्र एवं छात्रा को 5000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिनके माता–पिता अथवा अभिभावकों की कुल वार्षिक आय 54,000 रूपये से अधिक न हो।

6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

योजना के तहत शासकीय इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेण्टल, आयुष, कृषि, वेटनरी,उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई. में संचालितव्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों के छात्र–छात्राओं

को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी कुल वार्षिक आय 42,000 रूपये से अधिक न हो।

7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरण योजना

विद्यार्थियों के बीच भेदभाव समाप्त करने तथा सामान्य निर्धन और पिछड़ा वर्ग के सभी विद्यार्थियों को सुविधा के उद्देश्य से शासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

8. वीरांगना लक्ष्मीबाई सायकिल वितरण योजना

योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाली ऐसी सभी बालिकाओं को सायकिल उपलब्ध कराई जाती है, जिन्हें पढ़ाई के लिये अपने ग्राम से दूसरे ग्राम जाना पड़ता है। इससे छात्राओं के बीच भेदभाव समाप्त और सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी इसका लाभ मिलेगा।

9. आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना

योजना के तहत दुग्ध संघों के माध्यम से मिल्क रूट्स पर 10 हजार महिलाओं को गाय दी जावेगी है। योजना में प्रत्येक महिला को उन्नत नस्ल की दो भारतीय गाय उपलब्ध करवाने के साथ ही गायों की खुराक दवाईयों और उत्पादित दूध के विपणन की व्यवस्था भी की जाती है।

महिला सशक्तिकरण एवं गाय का दूध व अन्य उत्पाद ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। योजना से महिला सशक्तिकरण के साथ–साथ ग्रामों में पशुपालन को बढ़ावा मिला है।

10. सांदीपनी संस्कृत भाषा प्रसार योजना

योजना के तहत प्रत्येक विकासखण्ड में संस्कृत के अध्यापन के लिए संविदा शिक्षक वर्ग–3 का एक पद स्वीकृत किया गया है।

11. माँ सरस्वती उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना

योजना के अंतर्गत निर्धन मेधावी छात्रों को शासन द्वारा उच्च शिक्षा गारंटी दिये जाने बजट प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

आयोग द्वारा प्रदेश के संभागों तथा जिलों के दौरे

राज्य शासन द्वारा आयोग को स्वायत्तता प्रदान की है कि आयोग निर्धारित कार्य प्रक्रिया से हटकर स्वयं की प्रक्रिया विकसित कर सकता है। अस्तु, इस अधिकार का सकारात्मक उपयोग करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री बालेन्दु शुक्ल और उपसचिव श्रीमती वीणा तैलंग. द्वारा व्यापक सामाजिक चिंतन और परामर्श के लिए पूर्व के विषय वस्तु को आधार बनाकर संभागों एवं जिलों के दौरे कर जिलों के सम्मानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित कर योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है, साथ ही जिलों के योजनाओं से संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित कर योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग

आयोग का गठन

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित बिन्दुओं पर विचार करने तथा राज्य शासन को ''समग्र पुनर्वास नीति'' का प्रारूप सौंपने बावत मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग का दिनांक 5 फरवरी 2013 को गठन किया गया।

आयोग का स्वरूप

राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पाँच सदस्य मनोनीत किये गये। आयोग के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त (आई.ए.एस) श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी पदस्थ है।

आयोग द्वारा की गई कार्यवाही

वृद्धजनों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु प्रारूप नीति बनाने बावत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों, अशासकीय संगठनो, वृद्धाश्रमों, पेंशनर्स संघों से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर सुझावों को प्राप्त किया जा रहा है साथ ही सुझावो को प्राप्त करने के लिये आयोग का ई–मेल mpsrcitizencomm@gmail.com और बेवसाइट mpsrcitizencomm.gov.in भी जारी की गई है।

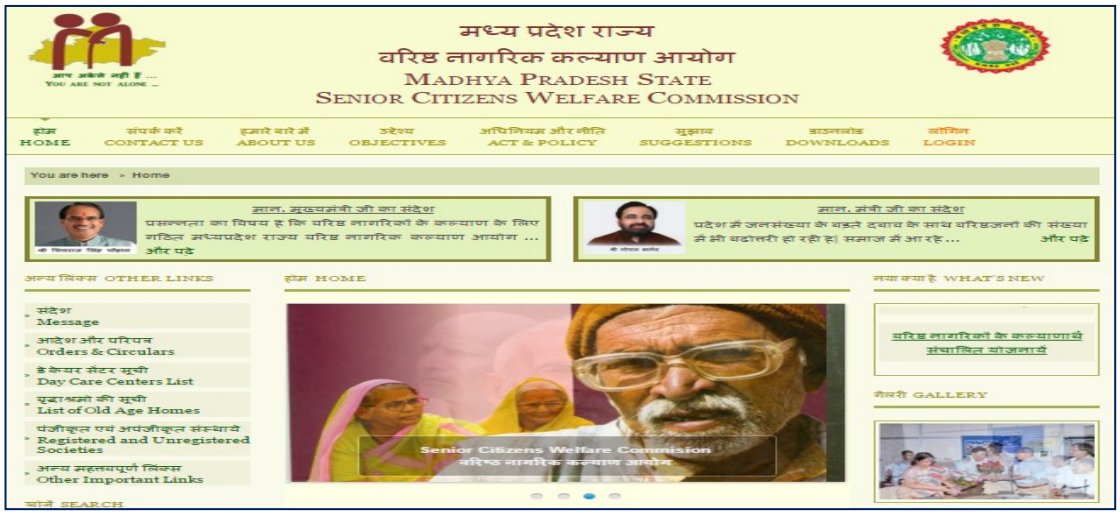

आयोग की अनुशंसाओं पर वरिष्ठों के कल्याणार्थ विभागों द्वारा जारी–निर्देशों का संकलन 2015

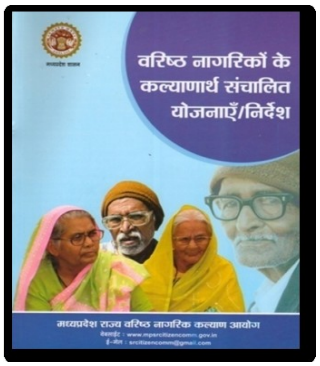

आयोग द्वारा संयुक्त रूप में व पृथक –पृथक 42 विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार विचार किया गया। फलतः 488 अनुशंसाओं में से 390 अनुशंसाओं को विभागों द्वारा मान्य कर ली गयी। इन विभागों द्वारा इस संबंध में 227 निर्देश भी प्रसारित कर दिये गये। 118 अनुशंसायें प्रचलन में है एवं 43 अनुशंसा (समयावधि में) प्रक्रियान्तर्गत है। उल्लेखनीय है कि 34 विभागों द्वारा शतप्रतिशत (382) अनुशंसा मान्य की गई। इसी तरह 04 विभागों द्वारा आंशिक रूप से निर्देश

प्रसारित किये गये है एवं शेष अनुशंसाओं पर कार्यवाही प्रगति पर है। 04 विभागों द्वारा अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है। आयोग इन अनुशंसाओं का अनुसरण कर रहा है। भारत शासन ने हाल ही में अपनी पुरानी योजनाओं/निर्देशों में संशोधन किये है। इन्हें सम्मिलित करते हुये आयोग की अनुशसाओं को मान्य कर राज्य शासन के विभागों द्वारा जारी निर्देशों को सम्मिलित कर आयोग ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है। यह मैदानी अधिकारी/कर्मचारियों, एवं इस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के लिये अत्यंत उपयोगी है।

कार्यशाला का आयोजन

प्रदेश में अनेक जाति, भाषा आधारित संस्थायें है व संगठन है। इसी तरह व्यवसाय आधारित संगठन भी है पेंशनर क्लब एवं सामाजिक संगठन है जो पंजीकृत है अथवा अपंजीकृत है। इनमें से अधिकांश संगठन ऐसे है जो राज्य शासन से आर्थिक सहायता नहीं लेते है। ये सभी संगठन अपने मूल उद्देश्यों के साथ ही अपने सदस्य वृद्धजनों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे है। विभाग के पास इन सभी संस्थाओं की सूचि उपलब्ध नहीं थी। आयोग द्वारा इन संस्थाओं की जानकारी संकलित कर उन्हें वृद्धजनों के हित में कार्य करने के लिये प्रेरित करने एवं इस सामाजिक सरोकार में संस्थाओं की भूमिका पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनाँक 21 जुलाई 2015 को कर उन्हें प्रेरित किया गया। इस कार्यशाला का कार्यवाही विवरण भी एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है। आयोग द्वारा जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर संस्थाओं एवं अधिकारियों के साथ लगभग 70 बैठके किये जाने से अब संस्थाओं एवं वृद्धजनों की इस आयोग से अपेक्षायें और बढ़ गयी है।

———————

विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करते हुये, सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाये रखते हुये, योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश की विधानसभा में दिनांक 14 मई 2010 को **'संकल्प क्रमांक–37 समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम'** पारित किया गया।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) के माध्यम से मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, पंजीकृत श्रमिकों, निःशक्तजनों के साथ–साथ कन्याओं, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों, सम्पूर्ण परिवार एवं सदस्यों को पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं जैसे कि– पेंशन, छात्रवृत्ति एवं शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता एवं विवाह सहायता इत्यादि का लाभ संबंधित विभाग द्वारा दिया जा रहा हैं।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्धेश्य

- योजना एवं सहायता राशि की दरों का युक्तियुक्तकरण।
- नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकृत करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकृत करना तथा समस्त हितग्राहिमूलक जानकारी तथा कार्यक्रमों की जानकारी को पारदर्शिता हेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराना तथा राज्य शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त नागरिकों/परिवारों का एकीकृत डाटाबेस तैयार करना और संधारित करना।
- हितग्राही के लिए यथा संभव एक ही स्थान पर सभी सुविधा मुहैया कराना।
- समय–समय पर मिशन के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का अध्ययन, अनुसरण करना।
- राज्य शासन द्वारा सौंपे गये कार्य को मिशन के अन्तर्गत संचालित करना।

समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नागरिकों की जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का सत्यापन कर लाभ प्रदान किया जा रहा है –

- **समेकित छात्रवृत्ति (स्कूल शिक्षा विभाग)**
    - 1.58 करोड़ स्कूली छात्र–छा़त्राओं की प्रायवेट एवं सरकारी स्कूलों के साथ मैपिंग।
    - 80.22 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृत।
- **खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)**
    - 1.17 करोड़ परिवार व 5.22 करोड़ सदस्यों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है।
    - राशन हेतु ई–पात्रता पर्ची खाद्य सुरक्षा समग्र पोर्टल से जेनरट।
    - जन्म एवं मृत्यु के पंजीयन के आधार पर ई–पात्रता पर्ची स्वतः अपडेट।
    - व्यक्ति स्वंय भी समग्र आई.डी. की सहायता पात्रता पर्ची को पोर्टल से डाउनलोड कर स्वंय की पात्रता की जांच कर सकता है।
- **पेंशन योजना (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग)**
    - 32.89 लाख से अधिक पशन हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण।
    - पेंशन राशि का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सीधे हितग्राही के बचत खाते में किया जा रहा हैं।
    - पेंशन योजनाओं में पात्रता के आधार पर समग्र पोर्टल के माध्यम से **3,75,884 पेंशन हितग्राहियों** को कम सहायता राशि वाली पेंशन योजना से केन्द्र शासन की अधिक सहायता वाली पेंशन योजना में **Auto Switch** किया गया है।
    - समग्र पोर्टल पर दर्ज प्रोफाईल के आधार पर पेंशन पोर्टल पर पेंशन योजना हेतु प्रथम दृष्ट्या पात्र व्यक्तियों की सूची सीनीय निकायों को उपलब्ध कराई गई।
    - ऑनलाईन निःशुल्क आवेदन की सुविधा।
- **जनधन योजनांतर्गत (संस्थागत वित्त)**
    - **1,22,37,361** परिवार के बचत खाते पोर्टल पर दर्ज।
    - जनधन योजना अंतर्गत खोले गये बचत खातों की सीडिंग समग्र पोर्टल पर कराई जा रही हैं।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासी निकाय की 6वीं समीक्षा बैठक

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा समग्र पुस्तिका का विमोचन दिनांक 13 मई 2015

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित बैठक

विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन हितग्राही

सं. क्र.	जिला	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	मानसिक बहुविकलांग को आर्थिक सहायता	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	कुल
1	AGAR MALWA	17633	10327	738	5064	197	184	34143
2	ALIRAJPUR	7395	6307	1433	3469	125	41	18770
3	ANUPPUR	10608	10506	1450	7880	651	218	31313
4	ASHOKNAGAR	14069	9440	568	6440	482	78	31077
5	BALAGHAT	48636	49691	1089	15756	2732	3269	121173
6	BARWANI	33535	20276	2531	12171	1512	213	70238
7	BETUL	24295	18428	1768	13272	1254	441	59458
8	BHIND	13761	11148	841	9490	921	199	36360
9	BHOPAL	25896	19253	2033	17281	1232	167	65862
10	BURHANPUR	16593	14701	455	3327	524	377	35977
11	CHHATARPUR	29765	14019	1608	14456	1266	812	61926
12	CHHINDWARA	29943	29423	1791	39064	1396	1005	102622
13	DAMOH	24383	21999	2202	19214	1161	284	69243
14	DATIA	11021	7955	754	6075	357	408	26570
15	DEWAS	32773	17457	2184	11979	1316	400	66109
16	DHAR	25286	24972	2794	11360	1658	175	66245
17	DINDORI	29467	14419	1719	6404	436	501	52946
18	GUNA	25883	11553	857	13104	759	246	52402
19	GWALIOR	10285	9692	983	21483	1494	220	44157
20	HARDA	6552	5530	1008	4745	511	89	18435
21	HOSHANGABAD	20404	16970	3258	13575	1748	954	56909
22	INDORE	14623	13343	1209	59623	1071	308	90177
23	JABALPUR	37385	33409	4525	30642	1982	808	108751
24	JHABUA	20536	12240	2110	5756	605	73	41320
25	KATNI	22516	20093	3842	10790	399	394	58034
26	KHANDWA	26087	17771	2577	16251	643	346	63675
27	KHARGONE	31709	21254	2487	23152	1599	528	80729
28	MANDLA	20275	20293	3090	15459	1261	783	61161
29	MANDSAUR	24203	21703	2974	9179	1282	547	59888
30	MORENA	12897	10263	1261	15511	895	226	41053
31	NARSINGHPUR	36040	17071	2704	17778	1170	1147	75910
32	NEEMUCH	11633	12218	1122	6048	904	347	32272
33	PANNA	37142	15564	1370	9600	577	626	64879
34	RAISEN	29597	16720	3008	15876	811	244	66256
35	RAJGARH	72920	22752	5008	30162	1373	845	133060
36	RATLAM	26536	21777	1739	8787	679	677	60195
37	REWA	72756	23689	2913	30846	1621	1986	133811
38	SAGAR	51271	35863	2281	35806	1479	1067	127767
39	SATNA	68131	29135	7908	28779	1949	1110	137012
40	SEHORE	41320	16176	2656	23350	1810	1355	86667
41	SEONI	22504	22377	1212	14958	1529	1156	63736
42	SHAHDOL	16174	16078	2998	18511	712	306	54779
43	SHAJAPUR	21285	11016	1158	10309	643	160	44571
44	SHEOPUR	8642	7333	587	10078	206	122	26968
45	SHIVPURI	24116	17710	1072	11222	369	367	54856
46	SIDHI	29193	11710	3476	32775	1422	439	79015
47	SINGROULI	29894	8960	1888	17616	261	293	58912
48	TIKAMGARH	29011	14891	1149	26598	908	537	73094
49	UJJAIN	30173	27795	487	22513	2448	1305	84721
50	UMARIA	16265	9303	1749	2446	140	211	30114
51	VIDISHA	33087	17952	775	20379	1177	538	73908
	TOTAL	**1376104**	**890525**	**103399**	**836409**	**53657**	**29132**	**3289226**

भाग - 4

सामान्य प्रशासनिक विषय

संसदीय कार्य

वर्ष में प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजे गये ।

विधि विषयक कार्य

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्न अधिनियम/नियम प्रचलित हैं :–

अधिनियम	नियम
• अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	मध्यप्रदेश अपराधी परिवीक्षा नियम,1960
• मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973	मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम, 1977
• मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970	मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 2013
• निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997
• द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999	
• माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007	मध्यप्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009
• सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
• मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम–2010	

सूचना का अधिकार

विभाग की सभी योजनाओं एवं कार्यों के संबंध में जनसामान्य को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है । निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नवत् है :–

प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
83	71	12

विभागीय स्थापना से संबंधित विषय

विभागाध्यक्ष स्तर पर स्वीकृत पद

1	आयुक्त	आई.ए.एस.	1
2	संचालक, मिशन	आई.ए.एस.	1
3	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी	1
4	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	3
5	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	4
6	कार्यपालन यंत्री	प्रथम श्रेणी	1
7	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	16
8	वितन्तु सहायक (स.संचा.तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
9	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	2

क्षेत्रिय स्तर पर स्वीकृत पद

1	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	7
2	उप संचालक	प्रथम श्रेणी	44
3	प्राचार्य शासकीय दृष्टि बाधित विद्यालय, जबलपुर	प्रथम श्रेणी	1
4	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	28
5	सहायक यंत्री (स.संचा. तकनीकी)	द्वितीय श्रेणी	1
6	ज्येष्ट तांत्रिक सहायक	द्वितीय श्रेणी	1
7	अधीक्षक, भिक्षुक प्रवेश केन्द्र	द्वितीय श्रेणी	1
8	अधीक्षक, श्रवण बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
9	अधीक्षक, दृष्टि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	4
10	अधीक्षक, राजकीय प्रौढ़ मूक बधिर	द्वितीय श्रेणी	1
11	अधीक्षक, राज्य अपंग कल्याण संस्थान, जबलपुर	द्वितीय श्रेणी	1
12	अधीक्षक, मानसिक रुप से अविकसित बच्चों का गृह	द्वितीय श्रेणी	7
13	अधीक्षक, अस्थि बाधितार्थ	द्वितीय श्रेणी	2
14	संभागीय व्यवस्थापक	द्वितीय श्रेणी	6
15	व्याख्याता दृष्टि	द्वितीय श्रेणी	22
16	व्याख्याता श्रवण	द्वितीय श्रेणी	18
17	व्याख्याता अस्थि	द्वितीय श्रेणी	8
18	परिवीक्षा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	10

पदोन्नति

वर्ष के दौरान निम्न संवर्गो में कुल अधिकारी/ कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई ।

संवर्ग में पदोन्नति प्रदान की गई	संवर्ग जिस पर पदोन्नति प्रदान की गई	पदोन्नत अधिकारी की संख्या
उप संचालक	संयुक्त संचालक	**04**
प्रशिक्षक	अधीक्षक	**01**
शिक्षक दृष्टि	व्याख्याता दृष्टि	**01**
सहायक वर्ग–3	सहायक वर्ग–2	**03**
भृत्य	सहायक वर्ग–3	**01**

नियुक्ति

वर्ष के दौरान निःशक्त व्यक्तियों हेतु चिंहाकित पदों पर निम्नानुसार नियुक्ति प्रदान की गई ।

सवंर्ग का नाम	भरे गये पद
शिक्षक (दृष्टिबाधित)	01
प्रशिक्षक आश्रयदत्त कर्मशाला	01

समयमान वेतनमान

वर्ष के दौरान निम्न पदों पर समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है ।

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
तृतीय श्रेणी	75
चतुर्थ श्रेणी	05

अनुकम्पा नियुक्ति

श्रेणी	संख्या
तृतीय श्रेणी	03
चतुर्थ श्रेणी	01

विभागीय जांच

विभागीय जांच प्रकरणों की स्थिति निम्नांनुसार है –

संवर्ग	वर्ष 2015 प्रारम्भ में लंबित	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	जनवरी 2016 अंत तक लंबित प्रकरण
शासन स्तर				
प्रथम श्रेणी	8	1	2	7
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–
संचालनालय श्रेणी				
प्रथम श्रेणी	–	–	–	–
द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–
तृतीय श्रेणी	1	1	–	2
चतुर्थ श्रेणी	1	–	1	–

न्यायालयीन प्रकरण

अप्रैल, 2015 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	कुल न्यायालयीन प्रकरणों की संख्या
157	**21**	**178**

वादोत्तर की स्थिति

वर्ष के दौरान वादोत्तर हेतु प्रचलित प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक प्रस्तुत किये गये वादोत्तर की संख्या	जनवरी 2016 की स्थिति में शेष लंबित वादोत्तर की संख्या
28	**21**	**8**	**41**

निर्णय पालन की स्थिति

अप्रैल 2015 की स्थिति में पालन हेतु लंबित निर्णय की संख्या	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक प्राप्त निर्णयों की संख्या	अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक पालन किये गये निर्णयों की संख्या	जनवरी 2016 को पालन हेतु शेष निर्णयों की संख्या	निर्णय की संख्या जिनके विरूद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत/प्रस्तावित है।	अवमानना प्रकरणों की संख्या
19	**2**	**3**	**3**	**4**	**11**

मुख्यमंत्री जी की घोषणायें

वर्ष	कुल घोषणाएं	पूर्ण घोषणाओं की संख्या	लंबित घोषणाओं की संख्या
2015–16	**7**	**3**	**4**

वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम

22 अप्रैल 2015 – सामूहिक विवाह कार्यक्रम गढाकोटा–सागर

निःशक्त विवाह कार्यक्रम जिला होशंगाबाद की कुछ झलकियां

दिनांक 29 नवम्बर 2015 –अशासकीय संस्था मूकबधिर संगठन इंदौर में श्रवणबाधित बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्रीजी

13 मई 2015 एवं 4 जनवरी 2016 – माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा ली गई विभागीय समीक्षा

एलिम्को/भारत सरकार– कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय जिला रायसेन

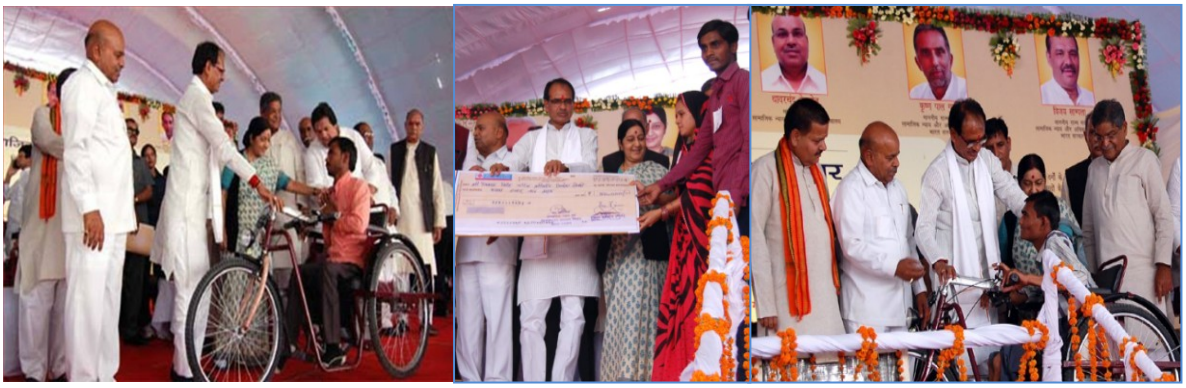

एलिम्को/भारत सरकार– कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय " उमंग कार्यक्रम" जिला होशंगाबाद (इटारसी)

कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय जिला सीहोर, भोपाल, जबलपुर

21 जुलाई 2015– वृद्धजन कार्यशाला वरिष्ठों के प्रति सामाजिक सरोकार में संस्थाओं की भूमिका

संयुक्त परामर्शदत्री समीति की बैठक दिनां

"निःशक्तजन के अधिकार और शासकीय योजनाओं की उन तक पहुंच" मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यशाला दिनांक 15 सितम्बर 2015

सूचना का अधिकार कार्यशाला दिनांक 30 अक्टूबर 2015

वृद्धाश्रमों का प्रभावी संचालन हेतु कार्यशाला दिनांक 26 नवम्बर 2015

श्रवण बाधितों को शिक्षा/रोजगार कार्यशाला दिनांक 15 दिसम्बर 2015

राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 14 जनवरी 2016

अशासकीस संस्था अरुषि भोपाल द्वारा आयोजित दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कार रैली

निःशक्त व्यक्तियों के संदर्भ में श्री शरद श्रीवास्तव, विभागीय फोटोग्राफर के छायाचित्रों की एकल प्रदर्शनी दिनांक 2–3 दिसम्बर 2015

कु0 आस्था गुप्ता (मूकबधिर) द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा डिजाईन डिक्शनरी पर प्रदर्शनी दिनांक 14 फरवरी 2016

विशेष उपलब्धियॉं– विभाग को विभिन्न वर्षों में प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार

क्रं.	वर्ष	पुरस्कार
1	2004	सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – भोपाल
2	2006	सर्वश्रेष्ठ संस्था – आशाग्राम ट्रस्ट बडवानी
3		सर्वश्रेष्ठ वाधारहित भवन –क्षेत्रीय विकलांग पुर्नवास केन्द्र भोपाल
4		सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – जबलपुर
5	2007	सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल – सुश्री पूजा सुब्रहमण्यम भोपाल
6	2008	सर्वश्रेष्ठ जिला – उज्जैन
7		सर्वश्रेष्ठ संस्था – म0प्र0 विकलांग सहायता समीति उज्जैन
8		सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – सिवनी
9		सर्वश्रेष्ठ सृजनशील निःशक्त – कुमारी क्षमा कुलश्रेष्ठ भोपाल
10		सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – होशंगाबाद
11	2011	सर्वश्रेष्ठ लोकल लेवल कमेटी – ग्वालियर
12	2012	**सर्वश्रेष्ठ नियोजक–** म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
13	2013	**नेशनल ई–गवर्नेस अवार्ड (गोल्ड़)–** स्पर्श पोर्टल सामाजिक न्याय विभाग म0प्र0
14		**सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार –** माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन तथा वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने हेतु
15	2014	**सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार –** निःशक्तजनों के सशक्तिकरण हेतु
16		**सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल–** डॉ. रोहित त्रिवेदी, भोपाल (दृष्टि बाधित), सुश्री राबिया खान, इंदौर (दृष्टि बाधित)
17		**द इंपावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज–** डॉ. दिव्यता गर्ग, भोपाल (दृष्टि बाधित)
18		**सर्वश्रेष्ठ बाधारहित वातावरण –** कलेक्टर ग्वालियर
19		**सर्वश्रेष्ठ जिला –** इंदौर
20		**स्कौच प्लेटिनम अवार्ड–** मध्यप्रदेश में संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समग्र पोर्टल के माध्यम से जरुरतमंद लोगों तक सीधे पहुंचाने के अभिनव प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। वर्तमान में समग्र के जरिये समेकित छात्रवृत्ति,

		खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेन्टर में समग्र पोर्टल को प्रतिष्ठित प्लेटिनम अवार्ड दिया गया।
21	**2015**	**वयोश्रेष्ठ सम्मान का राष्ट्रीय पुरस्कार –** महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2015 को डॉ. मनोहर विश्वनाथ भाले जिला देवास को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2015 को वृद्धजनों के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हेतु श्री कर्मवीर शर्मा सीईओ जिला पंचायत डिण्डोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
22	**2015**	**श्री संकेत भोंडवे, कलेक्टर जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश** को विकलांग व्यक्यिों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण की श्रेणी अंतर्गत निःशक्तजनों हेतु पुनर्वास सेवा प्रदान करने हेतु बेस्ट जिले का नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
23	**2015**	**श्री गौरव गेरा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश** को बेस्ट एम्प्लायी एवं स्वनियोजित(मस्तिष्क पक्षाघात) श्रेणी के अंतर्गत नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
24	**2015**	**मध्यक्षेत्र, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भोपाल, मध्यप्रदेश** को विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए नेशलन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
25	**2015**	**"समग्र पोर्टल"** को ई–गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने लिये वर्ष 2015–16 का **राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार (रजत)** प्रदान किया गया।

सारांश

1. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को राज्य शासन द्वारा जो दायित्व सौंपे है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम एवं प्रदेश के सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से 31 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है ।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत योजना प्रारंभ से वर्तमान तक **3,46,969** कन्याएं लाभांवित हो चुकी हैं।
4. इस तरह सामाज के कमजोर वर्ग, निराश्रित, निःशक्तजन, खेतिहर मजदूर, वृद्ध, विधवा, और परित्यक्त महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

विभागीय मुद्रित साहित्य

- समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की मार्गदर्शिका
- विभागीय योजनाओं का संकलन
- सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत ब्रोशर
- नशामुक्ति के प्रचार–प्रसार हेतु स्टीकर

परिशिष्ट एक

निःशक्त कल्याण के अर्न्तगत शासकीय संस्थाएं

क्रमांक	संस्था का नाम
1	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय ग्वालियर
2	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय, रीवा
3	शासकीय श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय, जबलपुर
4	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ (बालिका) उ.मा. माध्यमिक विद्यालय, उज्जैन
5	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा.विद्यालय भोपाल
6	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा.विद्यालय खरगौन
7	शासकीय दृष्टि बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर
8	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय सागर
9	शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा. विद्यालय इंदौर
10	अधीक्षक शासकीय अस्थि बाधितार्थ उ.मा. विद्या., इंदौर
11	शासकीय अस्थि बाधितार्थ उ.मा. विद्या. बैतूल
12	शासकीय राज्य अपंग कल्याण संस्थान जबलपुर
13	अधीक्षक शासकीय राजकीय प्रौढ़ बाधितार्थ प्रशिक्षण संस्थान इंदौर
14	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह इंदौर(बालक/बालिका)
15	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह जबलपुर (बालक/बालिका)
16	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह सागर (बालक/बालिका)
17	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह ग्वालियर (बालक/बालिका)
18	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह रीवा (बालक/बालिका)
19	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह उज्जैन (बालक/बालिका)
20	शासकीय मानसिक रूप से अविकसित बालगृह भोपाल (बालक/बालिका)

परिशिष्ट दो

निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राज्य अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाएं

क्र	जिला	संस्था का नाम
1	ग्वालियर	1—माधव अंध आश्रम झांसी रोड ग्वालियर
		2—म0प्र0 मूक बधिर कल्याण संस्थान आग्रे की गोठ ग्वालियर
2	शिवपुरी	3— मंगलम कोर्ट रोड शिवपुरी
3	देवास	4. म0प्र0 दृष्टि कल्याण संघ इंदौर की देवास 60 केंपिंग ग्राउण्ड उज्जैन रोड देवास
		5. मालवा कौसिल फॉर सोशल वर्क 6 एम0आई0जी0 जवाहर नगर देवास
4	रतलाम	6. जनचेतना परिषर एवं मंद मूक बधिर विद्यालय मांटेसरी स्कूल भवन स्टेडियम के पास रतलाम
5	उज्जैन	7. उज्जयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन 37 दुर्गा निवास माधव नगर उज्जैन
6	इंदौर	8. म0प्र0 दृष्टिहीन कल्याण संघ 33 बी0डी0 किला मैदान इंदौर
		9. राष्ट्रीय दृष्टिहीन संगठन इंदौर
		10.महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ स्किम नं. 54 सत्यसांई स्कूल के पीछे ए0बी0 रोड इंदौर
		11 गूंगे बहरो का निःशुल्क स्कूल एन0जी0ओ0 तरूण पुष्कर के पास इंदौर
		12. मूक बधिर संगठन स्किम नंबर 71 सेक्टर की रणजीज हनुमान मंदिर के पीछे इंदौर
		13. विकलांग कल्याण संघ एम0आर0 10 चन्द्रगुप्ता चौराहा इंदौर
		14. रोटरी पाल हेरि स्कूल स्किम नंबर 54 नर्मदा टंकी के पास इंदौर
		15. मूक बधिर विद्यालय एवं अंध शालाये 84/845 जीवन दास कांलोनी इंदौर
		16. महात्मा गांधी संस्थान बंगाली क्लब के पास बाल भवन इंदौर
		17. कुष्ठ सेवा संस्थान नंदा नगर इंदौर
7	धार	18. जिला रेडक्रास सोसायटी धार
8	झाबुआ	19. करूणा सदन रामपुर, विकास खण्ड रानीपुर जिला झाबुआ
		20. चन्द्र शेखर आजाद आदिवासी दृष्टिहीन पुनर्वास केन्द्र भावरा जिला झाबुआ
9	बडवानी	21. श्री कांता विकलांग ट्रस्ट झाकर पोस्ट निवाली जिला बडवानी
		22. आशाग्राम ट्रस्ट जिला बडवानी
10	खण्डवा	23. श्रीमती सावत्रीबाई झंवर, सेवा न्यास खण्डवा
11	भोपाल	24. मेरियम सोसायटी फॉर द हियरिंग हैण्डीकेप्ड ई—6 अरेरा कांलोनी भोपाल
		25. मिरियम स्कूल फॉर द मेंटली हैण्डीकेप्ड ई—6 अरेरा कांलोनी भोपाल

		26. दृष्टिहीन कल्याण संघ 1250 हास्पिटल के पास भोपाल
		27. राष्ट्रीय दृष्टिहीन कल्याण संघ शाखा 2–4, 16 सांकेत नगर भोपाल
		28 दिग्दिर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान बी–292 समर्पण हास्पिटल के पास शाहपुरा भोपाल
		29. शुभम, विकलांग एवं समाज सेवा समिति मकान नंबर 11 नशेमन कम्पाउण्ड पैलेस रोड भोपाल
		30. सांई विकलांग अनाथ सेवा आश्रम, एवं प्रशिक्षण छात्रावास सी.टी.ओ. बैरागढ भोपाल
		31. महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम बैरागढ भोपाल
		32. नवजात विकलांगजन कल्याण समिति एम0आई0जी0 318 न्यू.सुभाष नगर भोपाल
12	विदिशा	33. सूरज निकेतन स्कूल एवं छात्रावास 88 नीमताल रोड शरण भवन विदिशा
13	बैतूल	34. दृष्टिहीनो की शाला एवं पुनर्वास केन्द्र पांढर जिला बैतूल
14	छतरपुर	35. प्रगतिशील विकलांग संसार छतरपुर
15	दमोह	36.अनंत विकलांग सेवा समिति दमोह
16	जबलपुर	37. विकलांग सेवा भारती, 321 तिलक वार्ड गलगला बैनर्जी भवन जबलपुर
		38. स्नेह निकेतन, जबलपुर स्कूल पोस्ट बाक्स स्कूल 43 गौरखपर थाने के पास जबलपुर
17	सिवनी	39. आशादीप विकलांग विकास एवं कल्याण संगठन, 116 वल्लभ भाई पटेल, डून्डा सिवनी
18	रीवा	40. नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय बिछिया तौपखाना रोड रीवा
19	सीधी	41. गुरूकूल संस्कूत समिति सॉई निवास जिला सीधी

परिशिष्ट तीन

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित वृद्धाश्रम

क्र0	जिला	अशासकीय संस्था का नाम एवं पता
1	भोपाल	1. गांधी भवन न्यास द्वारा संचालित वृद्धाश्रम शाहजहांनाबाद, गोलघर के पास, भोपाल ''आसरा''वृद्धजन सेवा केन्द्र
		2. सेवा भारती (मातृछाया) भोपाल,नूतन कालेज के पास, लिंक रोड नं0–2, ''आनंदधाम वृद्धाश्रम''
		3. ऑर्च डायोसिस आफ भोपाल आर्च विशप्स हाउस, 33 अहमदाबाद पैलेस रोड, भोपाल
		4. श्री विवेकानंद धर्माथ न्यास द्वारा संचालित ''संत आरोग्य धाम विवेकानंद नगर, रजत नगर के पीछे, सोनागिरी,भोपाल
		5. अपना घर वृद्धाश्रम, कोलार रोड, भोपाल
2	होशंगाबाद	6. मुख्य नगर पालिका पिपरिया द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, बस स्टेण्ड, पिपरिया – जिला होशंगाबाद
		7. अशा.संस्था न्यू शिवम व्यवसायिक प्रशिक्षण युवती मंडल द्वारा संचालित ''आसरा वृद्धाश्रम'' वान्या ढावा के सामने बुधनी रोड, जिला होशंगाबाद
3	राजगढ	8. अशा.संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द्र ''आशाधाम वृद्धाश्रम'' जिला राजगढ
4	रायसेन	9. अशा.संस्था आर.डी.एस.एस.,सिलवानी द्वारा संचालित महात्मा गांधी वृद्धाश्रम, जिला रायसेन
5	बैतूल	10. अशा.संस्था सतपुडा उत्थान समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, ग्राम उडदन, बैतूल
6	विदिशा	11. अशा. संस्था अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित ''श्री हरि वृद्धाश्रम'' स्वर्णकार कालोनी, यामहा शो–रूम के पास, जिला विदिशा (केन्द्रीय अनुदान)
7	हरदा	12. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित शासकीय वृद्धाश्रम भवन जिला पंचायत के सामने, जिला हरदा
8	सीहोर	13. अशा. संस्था न्यू प्रताप शिक्षा समिति, जिला सीहोर द्वारा संचालित संकल्प वृद्धाश्रम जिला सीहोर
9	ग्वालियर	14. अशा.सस्था आश्रम शांति निकेतन शिक्षा समिति, मोतीलाल मिल, बिरलानगर, जिला ग्वालियर

		15. अशा. संस्था नारायण दास अग्रवाल परमार्थ सेवा ट्रस्ट, जागृति नगर , लक्ष्मीगंज ग्वालियर
		16. मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, के–48, गांधी नगर, ग्वालियर जिला ग्वालियर
		17. वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान, म0नं0 4/934, गरिमा हास्पिटल, ईदगाह कम्पू लश्कर, जिला ग्वालियर
		18. सरस्वती शक्तिपीठ शिक्षा समिति, 59, विवेक नगर, मेला ग्राउण्ड, ग्वालियर
10	श्योपुर	19. अशा.संस्था श्री गणराज सेवा समिति, पाली रोड, श्योपुर
		20. अशा0संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड इन्वायरमेंट, एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) विजयपुर, जिला श्योपुर
11	गुना	21. अशा.संस्था श्री साईनाथ सेवा सदन समिति, ''अपना घर वृद्धाश्रम, नानाखेडी, जिला– गुना
12	भिण्ड	22. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, भिण्ड वर्तमान में अशा0 संस्था– मोलीक्यूलर वेलफेयर सोसायटी, जिला ग्वालियर द्वारा संचालित
		23. श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट तह0 लहार, जिला भिण्ड
		24. श्री मूलचन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, ग्राम दबोह, जिला भिण्ड
		25. गहोई शिक्षा प्रसार समिति, मिहोना, जिला भिण्ड
13	अशोकनगर	26. अशा. संस्था फोरम फार इनवायरमेन्ट एण्ड डेव्हलपमेंट (फीड) शंकरपुर, आरोन रोड,मगरदा चौराहा, जिला अशोकनगर
14	शिवपुरी	27. अशा.संस्था मंगलम–शिवपुरी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम भवन, अस्पताल चौराहे के पास कोर्ट रोड, जिला शिवपुरी
15	मुरैना	28. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, माधोपुरा की पुलिया के पास मुरैना
16	दतिया	29. अशासकीय संस्था प्राकृतिक चिकित्सा एवं महाविद्यालय समिति, गुरूनानक कालोनी, जिला दतिया
17	इन्दौर	30. अशा0संस्था कल्याण मित्र समिति (आस्था वृद्धाश्रम) समाज कल्याण परिसर, परदेशीपुरा, इन्दौर
		31. अशा.संस्था महिला उत्कर्ष संस्थान (केन्द्रीय अनुदान से संचालित) जिला इंदौर
		32. अमरलाल सेवा चेरेटेबिल ट्रस्ट द्वारकापुरी, जिला इंदौर
		33. श्री भोलाराम भक्त हनुमान मंदिर परमार्थिक ट्रस्ट, 1/1 छोटी भमोरी अनूप टाकीज चौराहा, इंदौर

18	झाबुआ	34. नगर पालिका–झाबुआ वृद्धाश्रम मंगल भवन, जिला झाबुआ
19	धार	35. भारतीय रेडक्रास सोसायटी –धार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, इंदौर नाका, जिला धार
20	बुरहानपुर	36. अशा.संस्था हरखराज विजयराज लोढ़ा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, जिला बुरहानपुर
21	खरगौन	37. आनंद बसेरा वृद्धाश्रम, नगर पालिका महेश्वर जिला खरगौन
		38. आशा निकेतन वृद्धाश्रम, अशा.संस्था सरस्वती साहित्य संगम / वृद्धाश्रम महेश्वर द्वारा संचालित, जनपद पंचायत कसरावद जिला खरगौन
22	अलीराजपुर	39. भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर
23	बडवानी	40. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला बडवानी
24	खण्डवा	41. अशा.संस्था आश्रम शांति निकेतन ओंकारेश्वर में संचालित वृद्धाश्रम जिला– खण्डवा,
		42. आस्था वेलफेयर सोसायटी, 222 स्टेशन रोड, इन्द्रप्रस्थ कॉम्पलेक्स,खण्डवा
25	उज्जैन	43. अशा.संस्था उज्जैयिनी वरिष्ठ नागरिक संगठन, ''सेवाधाम वृद्धाश्रम'' ग्राम अम्बोदिया तह0 घटिया, जिला– उज्जैन
		44. सहस्त्र औदिच्य समाज वरिष्ठजन समिति, के–7 एम0आई0जी0 ऋषि नगर, उज्जैन
26	मंदसौर	45. भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा मंदसौर द्वारा संचालित वृद्धाश्रम– रेवास देवडा रोड, जिला मंदसौर
27	देवास	46. जिला विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, जिला देवास द्वारा संचालित ''बसेरा वृद्धाश्रम'' राजोदा रोड, जिला देवास मध्यप्रदेश।
28	रतलाम	47. भारतीय रेडक्रास सोसायटी,बिरयाखेडी जिला रतलाम
29	शाजापुर	48. अशा.संस्था अंकुर प्रगतिशील महिला समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, गैस गोदाम के पास, शाजापुर
30	नीमच	49. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, नीमच
31	सागर	50. भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा सागर द्वारा संचालित ''आनंद वृद्धाश्रम'' खुरई जिला सागर, म0प्र0
		51. गोपाल वृद्धाश्रम गढाकोटा, अशा.संस्था–देव सर्वोदय समिति वल्लभ नगर वार्ड सागर द्वारा संचालित
		52. जनपद पंचायत रहली जिला सागर

		53. रंगखोज परिषद सागर, प्रथम तल, साहू बिल्डिंग, फननुसा कुंआ, तीनबत्ती, सागर
32	दमोह	54. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, दमोह
		55. सचेतन विकास समिति, 486 ब्यौहार बाग, जबलपुर, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर शाखा स्व0 शोभालाल पटेरिया वृद्धाश्रम, ग्राम हटरी, जिला दमोह
33	छतरपुर	56. अशा.संस्था दर्शना महिला कल्याण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, छतरपुर
		57. अशा. संस्था– मां भगवती महिला मंडल, घुवारा, तहसील बडामलहरा, जिला छतरपुर
34	टीकमगढ	58. अशा0 संस्था– आर0एस0 शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा आरेछा में संचालित ''श्री रामराजा वृद्धाश्रम'' लुकमान चौराहा, मोटे का मोहल्ला, आरेछा, जिला टिकमगढ
35	पन्ना	59. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला पन्ना
36	जबलपुर	60. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बाजनामठ, तिलवाराघाट रोड, जबलपुर
37	छिन्दवाडा	61. ''गोधुली वृद्धाश्रम'' लोनिया करबल, छिन्दवाडा, नगर पालिका परिषद छिन्दवाडा द्वारा संचालित
38	मण्डला	62. भारतीय रेडक्रास सोसयाटी, जिला मण्डला
39	डिण्डौरी	63. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, जिला डिण्डौरी
40	नरसिंहपुर	64. आध्यात्मिक उत्थान मंडल न्यास समिति, ''जगतगुरू शंकराचार्य वृद्धाश्रम'' झोतेश्वर, गोटेगाव, जिला–नरसिंहपुर
41	कटनी	65. अशा.संस्था कर्मयोग समिति, 10 सावरकर वार्ड, नई बस्ती जिला कटनी ''बच्चन नायक वृद्धाश्रम, ग्राम कछगंवा, झिंझर जेल के पास, जिला कटनी
42	बालाघाट	66. सहारा वृद्धाश्रम, जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, वार्ड नं0 1, भटेरा चौकी जिला बालाघाट
43	सिवनी	67. अशा.संस्था नूतन महिला कल्याण समिति, काली चौक जिला सिवनी
44	रीवा	68. अशा.संस्था निवेदिता कल्याण समिति, जय भारत नगर, लालगांव रीवा (केन्द्रीय अनुदान से संचालित)
		69. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, ''पितामाह सदन वृद्धाश्रम'' स्वागत भवन, जिला–रीवा
45	सीधी	70. गोपालदास सार्वजनिक कल्याण समिति, गोपालदास आश्रम, मणिकूट सीधी, जिला– सीधी

46	सतना	71. प्रमोदवन आनंदधाम, कांच मंदिर के आगे, चित्रकूट, (कलेक्टर द्वारा अधिगृहित) सतना– वृद्वाश्रम
		72. मां शारदा देवी प्रबंध कमेटी (ट्रस्ट) समिति, ,मैहर, जिला–सतना
		73. ''चन्द्राश्रय वृद्धाश्रम'' डॉ0 लालता प्रसाद खरे पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट, सतना, नीमी रोड, सकरिया, जिला सतना
		74. शिव शक्ति शिक्षा समिति, गंजास, ज0पं0 रामनगर जिला सतना
		75. विनायक एजुकेशन सोसायटी, पौराणिकटोला, सिविल लाइन, जिला सतना
47	शहडोल	76. अशा0 सस्था– भारत विकास परिषद द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, कल्याणपुर, जिला शहडोल
48	सिंगरौली	77. जय मां कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई, वि0खंड0 देवसर, जिला सिंगरौली
49	अनुपपूर	78. कल्याण वृद्धाश्रम ग्राम सीतापुर ग्राम पंचायत बरबसपुर, जिला अनुपपुर द्वारा संचालित सोनांचल सेवा समिति
50	उमरिया	79. अमरनाथ पाठक वृद्धाश्रम सेवा संस्थान समिति वार्ड न0–1, बिरसिंहपुर पाली, उमरिया

परिशिष्ट चार

अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित डे–केयर सेंटर

क्र0	जिला	संस्था का नाम
1	भोपाल	1. वरिष्ठ नागरिक मण्डल, ई–4/10, अरेरा कालोनी, भोपाल
		2. श्रद्धेय वरिष्ठ जन कल्याण समिति, म0नं0 81, सर्वधर्म सी–सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल
2	सीहोर	3. नगर पालिका परिषद, सीहोर
3	राजगढ	4. फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट फीड शाखा जिला राजगढ
4	रायसेन	5. सियावास स्वावलंबी समाज सेवी संस्था, बेगमगंज, जिला रायसेन
		6. आर0डी0एस0एस0, सिलवानी
5	होशंगाबाद	7. श्री मैकलसुता शिक्षा समिति ग्वालटोली, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद
		8. रामवृद्ध जनकल्याण समिति, इटारसी जिला होशंगाबाद द्वारा संचालित ''मुस्कान'' डे–केयर सेंटर
		9. नगर पालिका पिपरिया
		10. रोटरी क्लब,इटारसी
6	विदिशा	11. ज्ञान सरोवर शिक्षा समिति, शेरपुरा जिला विदिशा
7	ग्वालियर	12. वरिष्ठ नागरिक संस्थान ग्वालियर द्वारा संचालित ''कस्तूरबा गॉधी विश्रांति भवन न्यास, ग्वालियर
8	गुना	13. श्री साईनाथ सेवा सदन समिति नानाखेडी गुना
9	अशोकनगर	14. फोरम फॉर एन्वायरमेंट एण्ड इकोनोमिक डेव्हलपमेंट फीड शाखा अशोकनगर
10	शिवपुरी	15. मंगलम, शिवपुरी
11	दतिया	16. संस्कार सोशल वेलफेयर सोसायटी, झॉसी–दतिया, विवाह वाटिका के पीछे, सीता सागर रोड, दतिया
12	भिण्ड	17. निराश्रित निधि से संचालित
13	मुरैना	18. श्री कृष्ण ग्रामोत्थान समिति ग्राम सबजीतकापुरा, तहसील कैलारस, मुरैना
		19. ईश्वर सिंह शिक्षा प्रसार समिति, किशोरगढ़, तहसील सबलगढ, जिला मुरैना
14	इंदौर	20. नगर निगम, इंदौर
		21. ग्रामीण उद्यमिता एवं जनकल्याण समिति, विसनावत, इंदौर
		22. सनातन चेरेटेबिल टस्ट इंदौर
15	खरगौन	23. नगर पालिका खरगोन
		24. नगर पालिका सनावद
		25. नगर पालिका बड़वाह
16	खंडवा	26. आस्था वेलफेयर सोसायटी, स्टेशन रोड, खंडवा (ज0पं0 स्तर पर)

		27. सोसायटी फार मेक्सिमाइजिंग एग्रीकल्चर एवं रूरल टेक्नालाजी, खंडवा (शहरी क्षेत्र में)
		28. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर बलडी (किल्लौद))
		29. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर हरसूद)
		30. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खालवा)
		31. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पुनासा)
		32. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर छैगांवमाखन)
		33. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर पंधाना)
		34. लोक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, जिला चिकित्सालय परिसर, खंडवा (ज0पं0 स्तर खण्डवा)
17	उज्जैन	35. अपंग सेवाश्रम महाकाल घाटी उज्जैन
18	रतलाम	36. नगर पालिका परिषद् जावरा जिला रतलाम वार्ड नं0 14 सामुहिक भवन
19	देवास	37. वरिष्ठ नागरिक संस्था, देवास
20	मंदसौर	38. सेवा निवृत्त एवं पेंशनर महासंघ, जिला मंदसौर
21	जबलपुर	39. वरिष्ठ सेवा केन्द्र डे केयर सेंटर छावनी मंडल केंट द्वारा संचालित ''छावनी परिषद् जिला जबलपुर''
		40. पंजाबी हिन्दू एसोसियेशन डे केयर सेंटर 1291 नेपियर टाउन जबलपुर
22	सिवनी	41. नगर पालिका परिषद जिला सिवनी
23	छिंदवाडा	42. नगर पालिका परिषद, छिंदवाडा
24	नरसिंहपुर	43. नगर पालिका परिषद, नरसिंहपुर
25	डिण्डोरी	44. मु.न.पा.अधिकारी नगर परिषद डिण्डौरी द्वारा ''ज्ञानोदय वाचनालय भवन डिण्डौरी
26	सागर	45. आनंद आश्रम सागर
		46. रंगखोज परिषद सागर, प्रथम तल, साहू बिल्डिंग, फननुसा कुंआ, तीनबत्ती, सागर
27	छतरपुर	47. नगर पालिका छतरपुर
		48. नगर परिषद् खजुराहो
28	रीवा	49. भारतीय रेडक्रास सोसॉयटी, रीवा
		50. निवेदिता कल्याण समिति, रीवा
29	सिंगरौली	51. जय मॉ कालिका निःशक्त कल्याण शिक्षा विकास समिति, कटई विकास खंड देवसर जिला सिंगरौली
30	उमरिया	52. नगर पंचायत–चांदिया
		53. नगर पालिका पाली
		54. नगर पालिका उमरिया

परिशिष्ट पांच

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुदान प्राप्त नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र

क्रं.	जिला	स्वैच्छिक संस्था व संचालित केन्द्र
1	इंदौर	भारतीय रेडक्रास सोसायटी इंदौर (आर्शीवाद नशामुक्ति केन्द्र) मेंटल हास्पिटल के पास बाणगंगा मेनरोड इंदौर जिला इंदौर
2	उज्जैन	अखिल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य संघ, उज्जैन (जागृति नशामुक्ति केन्द्र) नगर निगम कार्यालय परिसर, मक्सी रोड फ्री गंज, जिला उज्जैन
3	ग्वालियर	असीम ज्योति सांस्कृतिक शिक्षा परिषद् ग्वालियर (आर.एन. नशामुक्ति केन्द्र) किरार प्लाजा रूद्र मार्केट के पास फोर्ट रोड़ ग्वालियर
4	ग्वालियर	गुरुतेग बहादुर शिक्षा समिति ग्वालियर,(नवजीवन नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र) अर्नेजा भवन, नौगजा रोड, शिन्दे की छावनी, लश्कर ग्वालियर
5	नीमच	भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा नीमच (नशामुक्ति केन्द्र) ओ.पी.एम.एण्ड अल्कोलाइड फैक्ट्री केम्पस नीमच
6	सीहोर	न्यू प्रताप शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति भोपाल, संकल्प (नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र) ''यशोदा कुंज'' कस्बा सीहोर जिला सीहोर
7	रीवा	निवेदिता समाज कल्याण समिति रीवा (निवेदिता नशामुक्ति केन्द्र) सरस्वती स्कूल के पास निराला नगर रीवां जिला रीवां
8	राजगढ	अंकुर प्रगतिशील महिला केन्द शाजापुर (अंकुर नशामुक्ति केन्द्र) ओ.पी.दुबे का मकान, सुदर्शन नगर, सारंगपुर जिला राजगढ़
9	सीधी	अभिव्यक्ति कला विकास समिति सीधी (अभिव्यक्ति नशामुक्ति केन्द्र) मडवास रोड टी0सी0पी0सी0 के पीछे केदार शुक्ला आवास रोड सीधी जिला सीधी

10	जबलपुर	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति भोपाल (नव ज्योति नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र) एम0आई0जी0–42, अवधपुरी कॉलोनी, ग्वारीघाट जबलपुर जिला जबलपुर
11	भोपाल	शिव कल्याण एवं शिक्षण समिति भोपाल, जीवन ज्योति नशामुक्ति केन्द्र एल.आई.जी. 26 हर्षवर्धन नगर भोपाल
12	बालाघाट	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट युग शक्ति भवन बार्ड नं. 1 भटेरा चौकी बालाघाट (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
13	पन्ना	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद् पुराना पावर हाउस के पास पन्ना जिला पन्ना (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
14	गुना	शिवांगी एज्यूकेशन एण्ड रूरल डेव्हलपमेंट सोसाइटी हनुमान कालोनी गुना जिला गुना (नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्र)
15	श्योपुर	श्रीराम सेवा समिति ग्वालियर, (चन्द्रकांता नशामुक्ति केन्द्र) 7 नीमड़ी रोड़ एस.पी.बंगला के पास श्योपुर
16	विदिशा	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित नशामुक्ति केन्द्र विदिशा
17	भिण्ड	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा समिति मालनपुर तह. गोहद जिला भिण्ड (नशामुक्ति सह पुर्नवास केन्द्र)
18	खण्डवा	सोसायटी फार मेग्जीमाइजिंग एग्रीकल्चर एण्ड रूरल टेक्नोलाजी खण्डवा